



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No : G38844 /C-2/NGT-46/2021

दिनांक

Date 18-8-22

To,

The Registrar,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg, New Delhi.  
E-mail - judicial-ngt@gov.in

**Sub: Submission of Compliance Report pursuant to the order dated 23.11.2021 passed in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.**

Sir,

In compliance of order dated 23.11.2021 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, the compliance report with respect to Water pollution by tanneries at Jajmau Kanpur along with interim compliance report with respect to Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat has been filed on 31.07.2022. In this continuation updated compliance report with respect to Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat is enclosed herewith.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Ajay Kumar Sharma)  
Member Secretary

**Compliance Report of directions issued by Hon'ble NGT order dated 23.11.2021 in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.**


1. That the Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh has submitted the Compliance report of Order dated 08.02.2021 passed in the captioned matter on 30.07.2021 stating the progress regarding works related to remediation of chromium contaminated site at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat, preparation of Action Plan for Restoration of Environment and Public Health at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat, Health Survey in affected areas, Recovery of Environmental Compensation from units responsible for pollution due to Chromium Dump in Rania, Potable Water Supply for the residents of affected areas etc.
2. That Hon'ble Tribunal took up the matter on 16.11.2021 and reviewed the compliance status submitted by the State Government and the Oversight Committee on 12.11.2021 and passed certain directions regarding taking up prompt actions for compliance of directions passed vide earlier orders dated 15.11.2019. The relevant portion of the directions are reproduced below:

*".....11. As already observed, there does not seem to be adequate seriousness on the part of the authorities in*



handling the grim situation which has been in existence since 1976 and is adversely affecting the health of the citizens. Further, discharge of toxic chromium is taking place in Ganga due to non-compliant CETP and CCRP for which prompt action is required, to be monitored at the level of Chief Secretary. First imperative is to collect complete information on number of wells contaminated as well as the locations where chromium dumps are existing in the form of a complete inventory. Next step is firm action plan. At the same time remediation work pending for such a long time is prompt need to protect health of citizens. Not realizing the seriousness, the issue appears to be stuck in identifying the executing agency. Having regard to seriousness of the matter, MoEF & CC needs to be involved for guidance and handholding.

12. On the issue of not having complete treatment of tanneries effluent, it is seen that the CCRP is being operated with limited Members with discharge by tanneries into existing sewers and drains. This shows poor consent monitoring mechanism on the part of State PCB. Tannery effluent and sewage effluent are reported to be mixed and utilised for irrigation (about 214 mld) having deleterious effect on soil, ground water and ultimately on crops grown. During the period when effluent is not utilized, the same may be going to Ganga. This situation needs to be checked and remedied. As noted in the order dated 15.11.2021, the State PCB has assessed compensation on account of continuing damage by the chromium dump at Rs. 280.01





crores as on 24.10.2019. Further, for discharge of untreated sewage of toxic chromium into Ganga, the State of UP has been held liable to pay compensation of Rs. 10 crores. UP Jal Nigam was also liable to pay compensation of Rs. 01 crore for discharge of untreated sewage. Compensation was liable to be paid by the State by way of transfer to an ESCROW account for restoration of the environment with liberty to recover the same from erring industries. As per report of the Oversight Committee, lifting of dump has not yet started while work of preventing discharge of effluent has commenced. State Government has so far deposited a sum of Rs. 23.44 crores. The State is liable to deposit the remaining amount and pendency of proceedings against erring industries cannot be a ground not to comply with the said order.

13. Accordingly, we find it necessary to constitute a five-member expert Committee under the Chairmanship of Chief Secretary, U.P. with nominees of MoEF&CC, CPCB, NMCG, UP PCB and District Magistrates of Kanpur Dehat and Kanpur Nagar. CPCB and the State PCB will be nodal agencies jointly. The Committee may meet within two weeks and prepare road map for remedial action. The Committee is free to coopt any other expert or institution. Cost of remediation will be first born by the State of UP with liberty to the State to recover the same from any other source of funding or from such erring industries/individuals as may be found responsible, as per law. The plan should result in remediation of dump sites as well as preventing further



*discharge of chromium or other effluents at Jajmau or other such places in Ganga. An action taken report of compliance status as on 31.03.2022 be filed before the next date....."*

3. That in compliance of directions passed by Hon'ble NGT, the compliance report with respect to Water pollution by tanneries at Jajmau Kanpur along with interim compliance report with respect to Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat has been filed to Hon'ble NGT on 31.07.2022 with request to provide two months more time for submission of final plan for disposal of Chromium Waste dumped at Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat through TSDF operators. The copy of the compliance report dated 31.07.2022 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-1**

4. That the relevant paragraph of compliance report filed by U.P. Pollution Control Board with respect to Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat are reproduced below :-

....."3. That in compliance of directions passed by Hon'ble NGT, an Expert Committee has been constituted under the Chairmanship of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh vide office memorandum issued by Environment, Forest and Climate Change Department, Government of U.P. on 28.03.2022. The copy of the Office Memorandum dated 28.03.2022 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-1**

4. That a meeting of Expert Committee under Chairmanship of Chief Secretary, Government of U.P. has been held on



13.05.2022 to review the progress regarding disposal of Chromium waste dumped at Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat and discharge of Chromium effluent through Jajmau area into river Ganga. Copy of the minutes of meeting dated 13.05.2022 is enclosed herewith and marked as Annexure No.-2

5. That in the meeting of Expert Committee, it was informed that Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) has invited e-tenders three times for disposal of chromium waste dumped at Village Khanchandpur, Rania, for the first time, tenders were floated on 14.05.2020 wherein only one bid was received, which was cancelled owing to submission of single bid only. Subsequently, tenders were again floated on 11.07.2020 wherein 02 nos. of bids were received, out of which only one bidder was technically qualified, so it was cancelled. During third time, again 02 bids were received and only one bidder- M/s Ramky Enviro Engineers Ltd. was technically qualified. To resolve the issue, IIT Kanpur was appointed as Project Management Consultant (PMC) on 02.02.2021 by UPSIDA.

As per the preliminary report of the IIT-Kanpur, the actual volume of Chromium waste lying at the site is much higher (1,22,800 m<sup>3</sup>) in comparison to the volume reported in the earlier DPR prepared by CPCB's Vendor M/s. ERM Consultant (37,712 m<sup>3</sup>). Moreover, as per CPCB, the area of dump at the site is 37,000 m<sup>2</sup> while as per IIT Kanpur the area is 50,312 m<sup>2</sup>. After discussion between the CPCB and IIT-Kanpur to ascertain the correct quantity of Chromium



Dump, the volume reported by IIT-Kanpur was finalized. IIT Kanpur has assessed the project cost approx. Rs 158.14 Crores excluding land cost, for removal of Chromium Waste and disposal after developing new SLF near the existing TSDFs.

During the above said meeting on dated 13.05.2022, Central Pollution Control Board has suggested that two TSDF already exist in Kanpur Dehat, within 18 km distance from the dump site, which are operational on the land provided by State Government and Financial Assistance of Central Government and State Government, so in first phase, visual waste lying at the site should be removed and disposed of through above TSDFs.

6. That the Expert Committee headed by Chief Secretary, Government of U.P. agreed to the suggestion of CPCB and it was decided to constitute a Committee comprising of Shri V.P. Yadav, Director & Head, Waste Management Division-1, Central Pollution Control Board, Delhi, Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Dr. Pravin Kumar, Director Technical, National Mission for Clean Ganga, New Delhi and Additional District Magistrate (Admin) Kanpur Dehat to decide the reasonable rates for lifting and safe disposal of dumped Chromium Waste through existing TSDFs in Kanpur Dehat.
7. That It was also decided by the Expert Committee to constitute a sub-committee comprising of Additional District Magistrate (Admin) Kanpur Dehat, Executive Officer, Public





Work Department, Kanpur Dehat and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur Dehat for physical monitoring and quality control at site during execution of project work for lifting and safe disposal of dumped Chromium Waste through existing TSDFs in Kanpur Dehat as well as making recommendation for payments and submit its physical and financial progress to Committee from time to time.

8. That Chief Secretary Govt. of UP has directed Industrial Development Department to take budgetary approval from the State Government for this project and deposit in the dedicated Escrow Account operated by District Magistrate, Kanpur Dehat.
9. That in compliance of the decisions taken in the Expert Committee meeting on 13.05.2022, the Committee and Sub-committee have been constituted by Environment, Forest and Climate Change Department Government of U.P. vide letter no. 192/81-7-2022-44(writ)/2016 T.C-2 dated 26-05-2022 and 193/81-7-2022-44(writ)/2016 T.C-2 dated 26-05-2022 respectively. The copies of office memorandum dated 26-05-2022 are attached herewith and marked as **Annexure No. 3 & 4.**
10. That it is submitted that eight meetings of the Committee have been held on 30-05-2022, 07-06-2022, 10-06-2022, 14-06-2022, 07-07-2022, 13-07-2022, 18-07-2022, 21-07-2022 regarding methodology, assessment of waste lying at site and assessment of rates for disposal of Chromium waste



through TSDFs. The copies of minutes are attached herewith and marked as **Annexure No. -5.**

11. That UPPCB and CPCB have conducted the joint sampling on 16.06.2022 from the dump site to assess the Hexavalent chromium concentration present in waste dumped at Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat. 44 nos. of waste samples were collected. Out of 44 samples, 33 grab and 11 composite samples were collected. As per analysis reports. The observed average Cr (VI) in TCLP is 155 mg/L (approx.) ranging from 99 mg/L to 214 mg/L. Total area of the dumped waste impacted with hexavalent chromium has been estimated as 43,180 m<sup>2</sup>. Copy of rapid assessment report of CPCB is enclosed herewith and marked as **Annexure no.- 6.**
12. That the directions have been given to TSDF operators to send revised break up of rates as per the above Cr+6 concentration. Further a meeting of Committee with TSDF operators is scheduled on 02.08.2022 to finalize the rates.
13. That it is submitted that after finalization of rates for disposal of dumped Chromium waste to TSDF scientifically, required budget will be allotted by State Government and necessary fund will be deposited in dedicated Escrow Account operated by District Magistrate, Kanpur Dehat. The work may be started after the rainy season and it will take around one year from the date of start of work.
14. That it is submitted that U.P. Pollution Control Board had imposed Environmental Compensation of Rs. 280.01 Crore against 06 defaulting industries on 19-11-2019 and Recovery Certificates (RCs) against the above 06 defaulting industries



were issued as submitted in the previous compliance report. It is further submitted that the industries responsible for illegal dumping of chromium waste had filed Original Application Nos. 18, 19, 20, 21 and 22 of 2020 before Hon'ble Tribunal for getting relief against imposition of environmental compensation by Uttar Pradesh Pollution Control Board.

15. That Hon'ble Tribunal has given following directions vide its order dated 04.01.2021:-

*....." The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.*

*The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly." .....*

16. That it is submitted that in compliance of Hon'ble NGT order dated 04.01.2021, the hearing was conducted on 16.03.2021





by a committee constituted by U.P. Pollution Control Board for hearing the appellants. The committee considered the representation of industries and report was sought from Regional Officer, Kanpur Dehat. Regional Officer, Kanpur Dehat has sent the site inspection reports of 06 industries on 13-07-2021. During inspection the chromium waste 1475 MT and 3177 MT was found stored in M/s Waris Chemicals Pvt Ltd, Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat and M/s Hilger Chem Pt Ltd, Village-Chirauraraipur, Kanpur Dehat respectively.

17. That it is submitted that on the basis of information given by applicants during hearing on 16.03.2021, more investigation were conducted and 05 other defaulter units engaged in production of Basic Chrome Sulphate have been identified, which were responsible for the illegal dumping of Chromium Waste over the said site. U.P. Pollution Control Board has issued show cause notices for imposition of environmental compensation against 05 newly identified units on 29.09.2021.

18. That Hon'ble Tribunal took up the matter on 12.11.2021 and passed further directions in Appeal Nos. 14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 vide order dated 12.11.2021. The relevant portion of the directions are reproduced below:

*".....7. Though we are not taking up the matter for consideration on merits today in view of difficulty expressed by the learned Counsel for the State PCB, we find that due action has still not been taken in terms of earlier orders. It is necessary that a specific finding is recorded about the attributability of the default to particular units. The report does not show such*



*scientific exercise for determining liability. The conclusion fixing liability must be backed by scientific data and record including Form No. 1 and Form No. 13 submitted by concerned units at the time of seeking consents. The stand of the concerned units needs to be duly analysed to ascertain its veracity. To the extent the liability is admitted therein, the same ought to be straightaway enforced, pending further consideration. Let such an exercise be undertaken*

8. *The appellants have filed their objections to the report with applications for condonation of delay in filing such objections to the report of the State PCB dated 30.09.2021. IA Nos. 201/2021 to 205/2021 filed for condonation of delay in filing objections are allowed and objections are taken on record. Above observations are subject to consideration of the said objections....."*
19. That it is submitted that out of these additional 05 units, which were issued show cause notice, 04 units have submitted their reply and 01 unit M/s Kaleena Chemicals, Pvt. Village Malo, GT Road, Chaubepur, Kanpur Nagar has not submitted the reply of show cause notice.
20. That after getting representation from 04 units, show cause notices issued to 03 units have been revoked after duly consideration of their representations. Show cause notice issued against fourth unit M/s Rahman Industries Ltd, 1002, 1003, Akrampur, Chakarnpur, Unnao on 29.09.2021 was also revoked, as it was perused from its representation that earlier same unit was operated by M/s Bharat Chemical Udhyog Unnao since 1997 for 567 days till its closure and subsequently it was bought by M/s Rahman Industries Ltd. in 2004, which have submitted the records of hazardous waste disposal through TSDF with regard to their production. Hence a fresh show cause notice was issued against M/s

Bharat Chemical Udhyog Unnao on 17.01.2022, whose response to this notice was not found satisfactory. Therefore, finally, the Environmental Compensation against total 08 units on pro rata basis, responsible for dumping of chromium waste have been imposed on dated 14.04.2022 in the ratio of their production and operation period and details of temporarily stored chromium waste inside the industrial premises.

21. That it is submitted that at present no hazardous waste is dumped at Rakhi Mandi, Kanpur Nagar and the analysis of ground water sample indicates that the sub soil water is not contaminated, so there is no need of remediation at this site. The copy of analysis report and site inspection report is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-7**
  22. That Piped Water Supply (PWS) to the residents of Rakhi Mandi, Kanpur Nagar is being provided by U.P. Jal Nigam since 15.01.2020 through 2510 meter pipe line and 225 household connections.
  23. That supply of safe water to the residents of village Khanchandpur, Rania is also being provided by U.P. Jal Nigam through Piped Water Supply System since 15th July, 2020." .....
5. That in this continuation it is further submitted that three more meetings of the Committee have been held on 28-07-2022, 04-08-2022 and 18-08-2022 regarding methodology, assessment of waste lying at site, assessment and negotiation of rates for disposal of Chromium waste





through TSDFs. The copies of minutes are attached herewith and marked as **Annexure No. -2.**

6. That after detailed discussion and negotiation, the Committee has decided the rates for disposal of Chromium waste dumped at Village Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat to TSDF at Rs. 11.598 per Kilogram of Chromium Waste (inclusive all taxes) in its meeting dated 18.08.2022. That it is submitted that M/s U.P. Waste Management Project, Kumbhi, Kanpur Dehat has given acceptance for disposal of Chromium waste dumped at Village Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat to its TSDF at these rates and the response from other TSDF M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd, Kumbhi, Kanpur Dehat is awaited.
7. That it is submitted that after getting the formal quotations from both the TSDFs, the work will be awarded to TSDF operators on pro-rata basis, as per their available capacity of Secured Landfill Sites. The work may be started after the rainy season and it will take around one year from the date of start of work.
8. That it is submitted that the chromium waste dumped at Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat is being covered by HDPE sheet by UPSIDA, so that no more contamination could be spread in rainy season. The work is under progress and it may be completed by 31st August 2022.



9. That it is submitted that Government of Uttar Pradesh is committed, towards maintaining the water quality of river Ganga and for ensuring compliance of orders of Hon'ble Tribunal.

The above compliance report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW

DATED :

  
18/8/22  
**(Ajay Kumar Sharma)**

Member Secretary  
U.P. Pollution Control Board



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No : H 79223/C-2/NGT-46/2021

दिनांक

Date 30-7-22

To,

The Registrar,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg, New Delhi.  
E-mail - judicial-ngt@gov.in

**Sub: Submission of Compliance Report pursuant to the order dated 23.11.2021 passed in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.**

Sir,

In compliance of order dated 23.11.2021 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, the compliance report with respect to water pollution by tanneries at Jajmau Kanpur along with interim compliance report with respect to Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat is enclosed herewith with request to provide two months more time for submission of final plan for disposal of Chromium Waste dumped at Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat through TSDF operators.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Ajay Kumar Sharma)  
Member Secretary



**Compliance Report of directions issued by Hon'ble NGT order dated 23.11.2021 in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.**


1. That the Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh has submitted the Compliance report of Order dated 08.02.2021 passed in the captioned matter on 30.07.2021 stating the progress regarding works related to remediation of chromium contaminated site at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat, preparation of Action Plan for Restoration of Environment and Public Health at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat, Health Survey in affected areas, Recovery of Environmental Compensation from units responsible for pollution due to Chromium Dump in Rania, Potable Water Supply for the residents of affected areas etc.
2. That Hon'ble Tribunal took up the matter on 16.11.2021 and reviewed the compliance status submitted by the State Government and the Oversight Committee on 12.11.2021 and passed certain directions regarding taking up prompt actions for compliance of directions passed vide earlier orders dated 15.11.2019. The relevant portion of the directions are reproduced below:

*".....11. As already observed, there does not seem to be adequate seriousness on the part of the authorities in*

*NW*

handling the grim situation which has been in existence since 1976 and is adversely affecting the health of the citizens. Further, discharge of toxic chromium is taking place in Ganga due to non-compliant CETP and CCRP for which prompt action is required, to be monitored at the level of Chief Secretary. First imperative is to collect complete information on number of wells contaminated as well as the locations where chromium dumps are existing in the form of a complete inventory. Next step is firm action plan. At the same time remediation work pending for such a long time is prompt need to protect health of citizens. Not realizing the seriousness, the issue appears to be stuck in identifying the executing agency. Having regard to seriousness of the matter, MoEF & CC needs to be involved for guidance and handholding.

12. On the issue of not having complete treatment of tanneries effluent, it is seen that the CCRP is being operated with limited Members with discharge by tanneries into existing sewers and drains. This shows poor consent monitoring mechanism on the part of State PCB. Tannery effluent and sewage effluent are reported to be mixed and utilised for irrigation (about 214 mld) having deleterious effect on soil, ground water and ultimately on crops grown. During the period when effluent is not utilized, the same may be going to Ganga. This situation needs to be checked and remedied. As noted in the order dated 15.11.2021, the State PCB has assessed compensation on account of continuing damage by the chromium dump at Rs. 280.01





crores as on 24.10.2019. Further, for discharge of untreated sewage of toxic chromium into Ganga, the State of UP has been held liable to pay compensation of Rs. 10 crores. UP Jal Nigam was also liable to pay compensation of Rs. 01 crore for discharge of untreated sewage. Compensation was liable to be paid by the State by way of transfer to an ESCROW account for restoration of the environment with liberty to recover the same from erring industries. As per report of the Oversight Committee, lifting of dump has not yet started while work of preventing discharge of effluent has commenced. State Government has so far deposited a sum of Rs. 23.44 crores. The State is liable to deposit the remaining amount and pendency of proceedings against erring industries cannot be a ground not to comply with the said order.

13. Accordingly, we find it necessary to constitute a five-member expert Committee under the Chairmanship of Chief Secretary, U.P. with nominees of MoEF&CC, CPCB, NMCG, UP PCB and District Magistrates of Kanpur Dehat and Kanpur Nagar. CPCB and the State PCB will be nodal agencies jointly. The Committee may meet within two weeks and prepare road map for remedial action. The Committee is free to coopt any other expert or institution. Cost of remediation will be first born by the State of UP with liberty to the State to recover the same from any other source of funding or from such erring industries/individuals as may be found responsible, as per law. The plan should result in remediation of dump sites as well as preventing further

122



*discharge of chromium or other effluents at Jajmau or other such places in Ganga. An action taken report of compliance status as on 31.03.2022 be filed before the next date....."*

3. That in compliance of directions passed by Hon'ble NGT, an Expert Committee has been constituted under the Chairmanship of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh vide office memorandum issued by Environment, Forest and Climate Change Department, Government of U.P. on 28.03.2022. The copy of the Office Memorandum dated 28.03.2022 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-1**
4. That a meeting of Expert Committee under Chairmanship of Chief Secretary, Government of U.P. has been held on 13.05.2022 to review the progress regarding disposal of Chromium waste dumped at Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat and discharge of Chromium effluent through Jajmau area into river Ganga. Copy of the minutes of meeting dated 13.05.2022 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-2**
5. That in the meeting of Expert Committee, it was informed that Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) has invited e-tenders three times for disposal of chromium waste dumped at Village Khanchandpur, Rania, for the first time, tenders were floated on 14.05.2020 wherein only one bid was received, which was cancelled owing to submission of single bid only. Subsequently, tenders were again floated on 11.07.2020 wherein 02 nos. of bids were received, out of which only one bidder was

*MM*

technically qualified, so it was cancelled. During third time, again 02 bids were received and only one bidder- M/s Ramky Enviro Engineers Ltd. was technically qualified. To resolve the issue, IIT Kanpur was appointed as Project Management Consultant (PMC) on 02.02.2021 by UPSIDA.

As per the preliminary report of the IIT-Kanpur, the actual volume of Chromium waste lying at the site is much higher (1,22,800 m<sup>3</sup>) in comparison to the volume reported in the earlier DPR prepared by CPCB's Vendor M/s. ERM Consultant (37,712 m<sup>3</sup>). Moreover, as per CPCB, the area of dump at the site is 37,000 m<sup>2</sup> while as per IIT Kanpur the area is 50,312 m<sup>2</sup>. After discussion between the CPCB and IIT-Kanpur to ascertain the correct quantity of Chromium Dump, the volume reported by IIT-Kanpur was finalized. IIT Kanpur has assessed the project cost approx. Rs 158.14 Crores excluding land cost, for removal of Chromium Waste and disposal after developing new SLF near the existing TSDFs.

During the above said meeting on dated 13.05.2022, Central Pollution Control Board has suggested that two TSDF already exist in Kanpur Dehat, within 18 km distance from the dump site, which are operational on the land provided by State Government and Financial Assistance of Central Government and State Government, so in first phase, visual waste lying at the site should be removed and disposed of through above TSDFs.






6. That the Expert Committee headed by Chief Secretary, Government of U.P. agreed to the suggestion of CPCB and it was decided to constitute a Committee comprising of Shri V.P. Yadav, Director & Head, Waste Management Division-1, Central Pollution Control Board, Delhi, Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Dr. Pravin Kumar, Director Technical, National Mission for Clean Ganga, New Delhi and Additional District Magistrate (Admin) Kanpur Dehat to decide the reasonable rates for lifting and safe disposal of dumped Chromium Waste through existing TSDFs in Kanpur Dehat.
7. That It was also decided by the Expert Committee to constitute a sub-committee comprising of Additional District Magistrate (Admin) Kanpur Dehat, Executive Officer, Public Work Department, Kanpur Dehat and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur Dehat for physical monitoring and quality control at site during execution of project work for lifting and safe disposal of dumped Chromium Waste through existing TSDFs in Kanpur Dehat as well as making recommendation for payments and submit its physical and financial progress to Committee from time to time.
8. That Chief Secretary Govt. of UP has directed Industrial Development Department to take budgetary approval from the State Government for this project and deposit in the dedicated Escrow Account operated by District Magistrate, Kanpur Dehat.


MW



9. That in compliance of the decisions taken in the Expert Committee meeting on 13.05.2022, the Committee and Sub-committee have been constituted by Environment, Forest and Climate Change Department Government of U.P. vide letter no. 192/81-7-2022-44(writ)/2016 T.C-2 dated 26-05-2022 and 193/81-7-2022-44(writ)/2016 T.C-2 dated 26-05-2022 respectively. The copies of office memorandum dated 26-05-2022 are attached herewith and marked as **Annexure No. 3 & 4.**
10. That it is submitted that eight meetings of the Committee have been held on 30-05-2022, 07-06-2022, 10-06-2022, 14-06-2022, 07-07-2022, 13-07-2022, 18-07-2022, 21-07-2022 regarding methodology, assessment of waste lying at site and assessment of rates for disposal of Chromium waste through TSDFs. The copies of minutes are attached herewith and marked as **Annexure No. -5.**
11. That UPPCB and CPCB have conducted the joint sampling on 16.06.2022 from the dump site to assess the Hexavalent chromium concentration present in waste dumped at Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat. 44 nos. of waste samples were collected. Out of 44 samples, 33 grab and 11 composite samples were collected. As per analysis reports. The observed average Cr (VI) in TCLP is 155 mg/L (approx.) ranging from 99 mg/L to 214 mg/L. Total area of the dumped waste impacted with hexavalent chromium has been estimated as 43,180 m<sup>2</sup>. Copy of rapid assessment report of CPCB is enclosed herewith and marked as **Annexure no.- 6.**
- 

12. That the directions have been given to TSDF operators to send revised break up of rates as per the above Cr+6 concentration. Further a meeting of Committee with TSDF operators is scheduled on 02.08.2022 to finalize the rates.
13. That it is submitted that after finalization of rates for disposal of dumped Chromium waste to TSDF scientifically, required budget will be allotted by State Government and necessary fund will be deposited in dedicated Escrow Account operated by District Magistrate, Kanpur Dehat. The work may be started after the rainy season and it will take around one year from the date of start of work.
14. That it is submitted that U.P. Pollution Control Board had imposed Environmental Compensation of Rs. 280.01 Crore against 06 defaulting industries on 19-11-2019 and Recovery Certificates (RCs) against the above 06 defaulting industries were issued as submitted in the previous compliance report. It is further submitted that the industries responsible for illegal dumping of chromium waste had filed Original Application Nos. 18, 19, 20, 21 and 22 of 2020 before Hon'ble Tribunal for getting relief against imposition of environmental compensation by Uttar Pradesh Pollution Control Board.
15. That Hon'ble Tribunal has given following directions vide its order dated 04.01.2021:-

*....." The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of*





*inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.*

*The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly.".....*

16. That it is submitted that in compliance of Hon'ble NGT order dated 04.01.2021, the hearing was conducted on 16.03.2021 by a committee constituted by U.P. Pollution Control Board for hearing the appellants. The committee considered the representation of industries and report was sought from Regional Officer, Kanpur Dehat. Regional Officer, Kanpur Dehat has sent the site inspection reports of 06 industries on 13-07-2021. During inspection the chromium waste 1475 MT and 3177 MT was found stored in M/s Waris Chemicals Pvt Ltd, Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat and M/s Hilger Chem Pt Ltd, Village-Chirauraraipur, Kanpur Dehat respectively.
17. That it is submitted that on the basis of information given by applicants during hearing on 16.03.2021, more investigation were conducted and 05 other defaulter units engaged in production of Basic Chrome Sulphate have been identified, which were responsible for the illegal dumping of Chromium Waste over the said site. U.P.





Pollution Control Board has issued show cause notices for imposition of environmental compensation against 05 newly identified units on 29.09.2021.

18. That Hon'ble Tribunal took up the matter on 12.11.2021 and passed further directions in Appeal Nos. 14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 vide order dated 12.11.2021. The relevant portion of the directions are reproduced below:

*".....7. Though we are not taking up the matter for consideration on merits today in view of difficulty expressed by the learned Counsel for the State PCB, we find that due action has still not been taken in terms of earlier orders. It is necessary that a specific finding is recorded about the attributability of the default to particular units. The report does not show such scientific exercise for determining liability. The conclusion fixing liability must be backed by scientific data and record including Form No. 1 and Form No. 13 submitted by concerned units at the time of seeking consents. The stand of the concerned units needs to be duly analysed to ascertain its veracity. To the extent the liability is admitted therein, the same ought to be straightaway enforced, pending further consideration. Let such an exercise be undertaken*

*8. The appellants have filed their objections to the report with applications for condonation of delay in filing such objections to the report of the State PCB dated 30.09.2021. IA Nos. 201/2021 to 205/2021 filed for condonation of delay in filing objections are allowed and objections are taken on record. Above observations are subject to consideration of the said objections....."*

19. That it is submitted that out of these additional 05 units, which were issued show cause notice, 04 units have submitted their reply and 01 unit M/s Kaleena Chemicals,

*MW*

Pvt. Village Malo, GT Road, Chaubepur, Kanpur Nagar has not submitted the reply of show cause notice.

20. That after getting representation from 04 units, show cause notices issued to 03 units have been revoked after duly consideration of their representations. Show cause notice issued against fourth unit M/s Rahman Industries Ltd, 1002, 1003, Akrampur, Chakarpur, Unnao on 29.09.2021 was also revoked, as it was perused from its representation that earlier same unit was operated by M/s Bharat Chemical Udhyog Unnao since 1997 for 567 days till its closure and subsequently it was bought by M/s Rahman Industries Ltd. in 2004, which have submitted the records of hazardous waste disposal through TSDF with regard to their production. Hence a fresh show cause notice was issued against M/s Bharat Chemical Udhyog Unnao on 17.01.2022, whose response to this notice was not found satisfactory. Therefore, finally, the Environmental Compensation against total 08 units on pro rata basis, responsible for dumping of chromium waste have been imposed on dated 14.04.2022 in the ratio of their production and operation period and details of temporarily stored chromium waste inside the industrial premises.
21. That it is submitted that at present no hazardous waste is dumped at Rakhi Mandi, Kanpur Nagar and the analysis of ground water sample indicates that the sub soil water is not contaminated, so there is no need of remediation at

MW



this site. The copy of analysis report and site inspection report is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-7**

22. That Piped Water Supply (PWS) to the residents of Rakhi Mandi, Kanpur Nagar is being provided by U.P. Jal Nigam since 15.01.2020 through 2510 meter pipe line and 225 household connections.
23. That supply of safe water to the residents of village Khanchandpur, Rania is also being provided by U.P. Jal Nigam through Piped Water Supply System since 15th July, 2020.
24. That it is further submitted that the CETP at Jajmau, Kanpur is having capacity of 36 MLD to treat (combined effluent in ratio of 1:3) 9 MLD Tannery effluent & 27 MLD domestic sewage effluent. All the tannery units discharge primarily treated effluent through conveyance channel, which is further pumped through 4 pumping stations into 36 MLD CETP designed to treat mixed effluent consisting of 9 MLD tannery effluent and 27 MLD domestic sewage.

That the maintenance of conveyance channel, pumping stations and operation of CETP is done by Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Kanpur. The treated CETP effluent gets further diluted with treated effluent of 130 MLD, 43 MLD and 5 MLD STP at the premises of CETP Jajmau before finally discharged into irrigation channel for irrigation. The STPs are also operated and maintained by operator M/s Kanpur River Management Pvt Ltd, Kanpur selected by UP Jal Nigam.

MLL



That it is further submitted that there is no separate sewerage network in Jajmau area, where all the tannery units are situated, so untreated domestic sewage generated from Jajmau area also gets mixed with industrial effluent goes through conveyance channel into CETP.

That, it is submitted that keeping the above aspect into consideration, U.P. Pollution Control Board has taken following measures to reduce the chances of overflow from pumping stations as well as excess effluent going into CETP.

- a. U.P. Pollution Control Board issued guidelines vide letter dated 08.06.2019 to assess the infrastructure of tannery units according to their permitted capacity in order to restrict tannery units to operate as per their permitted capacity.
- b. The process of tanning operation in tannery unit is such that there is no continuous flow generation from the process and it is more in the nature of batch process, so tannery effluent generated from tannery units gets discharged after accumulation of effluent for 2 to 3 days. This in turn results into excess flow generated from the tannery units at a particular point of time than the permissible discharge calculated on Kl/day basis, whenever it is discharged after completion of batch process. U.P. Pollution Control Board restricted the overall capacity of each tannery unit first upto 80% of its consented capacity in order to reduce the chances of excess flow going to pumping stations and subsequently

12/11

to CETP inlet. But this step was also not found adequate as excess flow was still noticed at each pumping stations and CETP inlet due to inseparable domestic effluent up to 10.02 MLD, as well as batch process of tannery units. Therefore, U.P. Pollution Control Board restricted the overall processing capacity of each tannery unit further to 50% of its consented capacity in order to reduce the chances of excess flow going to pumping stations and subsequently to CETP inlet.

- c. U.P. Pollution Control Board implemented roster of operation of tannery units attached to different pumping stations. As per this roaster, tannery units attached to pumping station 1 and 3 are operated for first 15 days of the month and tannery units attached to pumping station 2 and 4 are operated for next 15/16 days of the month.
- d. Each tannery unit has installed flow meter at the outlet of PETP with connectivity to CPCB and UPPCB server.
- e. U.P. Pollution Control Board is regularly monitoring the effluent quality of different conveyance channels before reaching pumping stations and it has been directed that if any default is noticed then coercive action will be taken against all the tannery units existing in upstream of that location.
- f. Surprise checks are conducted by UPPCB and Inter Departmental Teams as well as Third Party Institutions like IIT, HBTU, PCCRI, NEERI also conduct the surprise

MW

inspections from time to time and actions are taken against the defaulter units.

That U.P. Pollution Control Board has taken action from time to time, whenever tannery effluent overflow to Ganga river was found at Pumping Stations operated by Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Kanpur. The details of action taken from time to time is summarized as below-

S.No	Action Taken	Date	Reason of Action Taken
1.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 251 tannery units	18.11.2018	Non availability of sewage at inlet of CETP for dilution due to maintenance of trunk sewer line.
2.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 19 tannery units	26.12.2018	Overflow from pumping station no.-4 (Budhiyaghat)
3.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 09 tannery units	31.12.2018	Over capacity production.
4.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 91 tannery units	06.01.2019	Overflow from pumping station no.-3 (Wajidpur)
5.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 114 tannery units	09.01.2019	Overflow from pumping station no.-2 (Sheetla bazar)
6.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 122 tannery units	01.10.2019	Non availability of sewage at inlet of CETP for dilution due to maintenance of trunk sewer line.

MW



S.No	Action Taken	Date	Reason of Action Taken
7.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 02 tannery units	17.08.2020	Over capacity production.
8.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 05 tannery units	11.12.2020	Over capacity production.
9.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 09 tannery units	01.01.2021	To prevent overflow from pumping station no.-4 (Budhiyaghat)
10.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 95 tannery units	18.03.2021	Over flow from Pumping Station 3 (Wajidpur) and operation of tannery units during closure roster period.
11.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 09 tannery units	07.01.2022	Found operational during bandi roster period.

U.P. Pollution Control Board has imposed Environmental Compensation against the operator of CETP and STPs at Jajmau Kanpur i.e. Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Kanpur / M/s Kanpur River Management Pvt Ltd, Kanpur from time to time on the basis of different defaults. The details of action taken is summarized in the table form as below:-

S.No	Action Taken	Date	Reason of Action Taken
1.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 2.5 Lac	25.04.2019	Discharge of untreated sewage to Ganga river due to damage in sewer line and not pumping sewer to STP of 130

S.No	Action Taken	Date	Reason of Action Taken
			MLD, 43 MLD and 5 MLD at Jajmau, Kanpur.
2.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 1.5 Lac	04.06.2019	Discharge of untreated sewage from 130 MLD and 43 MLD STP Jajmau, Kanpur.
3.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 1.5 Lac	01.01.2021	Due to not achieving the standards at the outlet of 36 MLD CETP, Jajmau, Kanpur
4.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 11.25 Lac	04.06.2021	Discharge of untreated sewage from 130 MLD STP.
5.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 3.75 Lac	31.08.2021	Discharge of untreated sewage from Sheetla Bazar drain.
6.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 5.25 Lac	15.09.2021	Non compliance of CETP Jajmau, Kanpur
7.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 5.625 Lac	05.01.2022	Discharge of untreated sewage from Sheetla Bazar drain.
8.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 5.625 Lac	05.01.2022	Discharge of untreated sewage from Budhiyaghat drain.
9.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 1.50 Lac	13.01.2022	Discharge of untreated sewage from Dubka drain.

MW



S.No	Action Taken	Date	Reason of Action Taken
10.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 9.75 Lac	28.01.2022	Discharge of untreated sewage from Sheetla Bazar drain.
11.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 9.75 Lac	28.01.2022	Discharge of untreated sewage from Sheetla Bazar drain.
12.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 0.375 Lac	08.03.2022	Due to non operation of 43 MLD STP and discharging untreated sewage effluent from Airforce Nala
13.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 5.25 Lac	14.04.2022	Discharge of untreated sewage from Budhiyaghat drain.
14.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 3.75 Lac	14.04.2022	Discharge of untreated sewage from Sheetla Bazar drain.
15.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 11.625 Lac	20.04.2022	CETP Jajmau was found non complying during the period 01-06-2021 to 05-04-2022
16.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 99.0 Lac	20.04.2022	Not proper operation of 130 MLD and 43 MLD STPs.
17.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 1.125 Lac	17.06.2022	due to untreated discharge from 130 MLD STP Jajmau through Airforce Nala

MLA



That U.P. Pollution Control Board is regularly monitoring the status of tapping of drains and functioning of STPs in Jajmau and Kanpur. It is further submitted that U.P. Pollution Control Board has prosecuted 04 erring officials (03 Assistant Engineer and 01 Junior Engineer) of U.P. Jal Nigam under section-43/44 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 in Hon'ble Special Court (Air and Water Pollution Control) Lucknow on 18.03.2021 after getting due permission under section 197 of Cr.PC from the State Government for not ensuring complete tapping of 26 drains of Kanpur Nagar through STPs as well as not discharging treated sewage from 05 MLD STP and 130 MLD STP at Jajmau, Kanpur within prescribed standards.

Further, UPPCB has prosecuted M/s Kanpur River Management Pvt Ltd and its Directors under section-43/44 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 in Special Court (Air and Water Pollution Control) Lucknow on 13-04-2022 for non achieving the discharge standards by 130 MLD STP at Jajmau Kanpur.

That it is submitted that UPPCB has sealed 169 drums & 47 Paddles in 92 tannery units associated with Pumping Station-03 (Wajidpur), 54 drums & 12 Paddles in 19 tannery units associated with Pumping Station-04 (Budhiyaghat), 13 drums & 07 Paddles in 12 tannery units associated with Pumping Station-01 (Chhabilepurwa) to control excess flow generation. To stop illegal operation of closed tannery units

*ML*

electric disconnection has been confirmed by KESCo. vide letter dated 03.12.2021.

That UPPCB has imposed the environmental compensation against the defaulting units from time to time. Environmental Compensation of Rs 2.90 Crore imposed against 259 defaulter tannery units, out of which Environmental Compensation of Rs. 1.01 Crore has been deposited by 215 tannery units of Jajmau Kanpur. Recovery Certificate for recovery of Environmental Compensation has been issued by District Administration against 34 units. It is ensured that the CTO of tannery units is renewed only after deposition of due amount of environmental compensation.

25. That it is also relevant to submit here that in order to improve the treatment capacity of existing tannery units of Jajmau, Kanpur, Central Government has taken effective initiation and for Jajmau Tannery cluster, National Mission for Clean Ganga, New Delhi has approved 20 MLD CETP (dilution based) worth Rs. 554 Crore, as per Hon'ble NGT direction. The proposal was consented by the tannery association and the Government of Uttar Pradesh. The member tannery units have committed to contribute Rs. 25 crore and has proposed to bear the estimated cost of Rs. 137 Crore for upgradation of their Primary Effluent Treatment Plants (PETPs). Rest 392 Crore will be borne by National Mission for Clean Ganga (NMCG). The Special Purpose Vehicle "Jajmau Tannery Effluent Treatment Association (JTETA)" of member tannery units and district

1W



administration headed by District Magistrate, Kanpur Nagar has been formed.

26. That the Jajmau Tannery Effluent Treatment Association (JTETA) has allotted the work of construction of CETP to M/s VA Tech Wa Bag Ltd. after finalizing the tender with approval from NMCG. NMCG has also appointed construction engineer to supervise the on going work and estimated time of commissioning is 13-08-2023. The new CETP is being constructed in the same premises of existing CETP and the treated effluent is proposed to be used for irrigation after dilution with treated STP effluent. After the construction of new 20 MLD CETP & allied structures like closed conveyance system to carry primarily treated effluent from member tannery units to CETP & CCRP and upgradation of existing PETP by tanneries, complete elimination of accidental discharge in river Ganga would be ensured.
27. That the member tannery units have also submitted undertaking for upgradation of PETP before commissioning of the new CETP.
28. That it is submitted that every member unit has also to contribute its share towards construction of new 20 MLD CETP. U.P. Pollution Control Board has issued closure order against 121 member tannery units who have not deposited their installments as per schedule, on the recommendation of (SPV) Jajmau Tannery Effluent Treatment Association (JTETA) headed by District Magistrate, Kanpur Nagar.





29. That it is submitted that Government of Uttar Pradesh is committed, towards maintaining the water quality & flow of river Ganga and for ensuring compliance of orders of Hon'ble Tribunal.

The above compliance report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW

DATED :



**(Ajay Kumar Sharma)**

Member Secretary  
U.P. Pollution Control Board

## उत्तर प्रदेश शासन

संख्या- N.G.T.-34/81-7-2022-44(रिट)/2016 टी0सी0-2

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2022

## कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.11.2021 में जाजमऊ स्थित सी0ई0टी0पी0 एवं सी0आर0पी0 द्वारा मानकों की पूर्ति न किये जाने, टैनरी उत्प्रेषण एवं घरेलू उत्प्रेषण के गंगा नदी में निस्तारित होने तथा खानचन्द्रपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण एवं साइट के रेमेडियेशन हेतु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :-

".....13. Accordingly, we find it necessary to constitute a five-member expert Committee under the Chairmanship of Chief Secretary, U.P. with nominees of MoEF&CC, CPCB, NMCG, UP PCB and District Magistrates of Kanpur Dehat and Kanpur Nagar. CPCB and the State PCB will be nodal agencies jointly. The Committee may meet within two weeks and prepare road map for remedial action. The Committee is free to coopt any other expert or institution. Cost of remediation will be first born by the State of UP with liberty to the State to recover the same from any other source of funding or from such erring industries/individuals as may be found responsible, as per law. The plan should result in remediation of dump sites as well as preventing further discharge of chromium or other effluents at Jajmau or other such places in Ganga. An action taken report of compliance status as on 31.03.2022 be filed before the next date....."

2- मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 16.11.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाती है :-

- |                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन                                                         | - अध्यक्ष      |
| 2- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नामित प्रतिनिधि     | - सदस्य        |
| 3- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सह नोडल एजेन्सी) द्वारा नामित प्रतिनिधि       | - नोडल अधिकारी |
| 4- नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली द्वारा नामित प्रतिनिधि                     | - सदस्य        |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन | - सदस्य        |
| 6- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सह नोडल एजेन्सी)                     | - सदस्य सचिव   |
| 7- जिलाधिकारी, कानपुर नगर                                                          | - सदस्य        |
| 8- जिलाधिकारी, कानपुर देहात                                                        | - सदस्य        |
| 9- जिलाधिकारी, उन्नाव                                                              | - सदस्य        |

3- उक्त समिति के निम्नवत् दायित्व होंगे :-

- 1- जाजमऊ, कानपुर स्थित सी0ई0टी0पी0 एवं सी0सी0आर0पी0 द्वारा मानकों की पूर्ति न किये जाने के कारण क्रोमियम युक्त उत्प्रेषण अथवा अन्य प्रदूषित उत्प्रेषण को जाजमऊ अथवा गंगा नदी के अन्य स्थलों में निस्तारित किये जाने से रोकने तथा प्रदेश में चिन्हित

डम्प साइट्स के रेमेडियेशन हेतु समिति द्वारा 02 सप्ताह में बैठक कर रेमेडियल एक्शन हेतु रोडमैप तैयार किया जायेगा।

2- एक्सपर्ट कमेटी द्वारा डम्प साइट के रेमेडियेशन की योजना का संबंधित विभागों के द्वारा क्रियान्वयन किये जाने का अनुश्रवण किया जाये, ताकि जाजमऊ अथवा अन्य किसी स्थल से गंगा नदी में क्रोमियम के डिस्चार्ज को रोका जा सके।

3- दिनांक 31.03.2022 तक कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि 26.04.2022 से पूर्व समिति के नोडल अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल की जायेगी।

4- समिति द्वारा किसी एक्सपर्ट अथवा संस्था का सहयोग यथावश्यकता लिया जा सकेगा।

5- समिति की बैठकें नोडल एजेन्सीज द्वारा आहूत करायी जायेगी, जिसका बैठक से पूर्व एजेण्डा तैयार कर समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Signed by मनोज सिंह

Date: 28-03-2022 13:29:24

(मनोज सिंह)

Reason: Approved

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- N.G.T.-34 (1)/81-7-2021-44(रिट)/2016 टी0सी0-2, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
- 3- महानिदेशक, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 4- निजी सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात/उन्नाव।
- 6- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ/सह नोडल एजेन्सी एवं सदस्य सचिव, एक्सपर्ट कमेटी।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( मनोज सिंह )

अपर मुख्य सचिव।



मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या 985/2019 वि० ओ०ए० संख्या 986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित एक्सपर्ट कमेटी की दिनांक 13.05.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में संबंधित विभागों के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:

1. श्री मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. श्री आशीष तिवारी, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. डा० सुधीर चिन्तलपट्टी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार।
4. श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।
6. श्री संदीप चन्द्रा, मुख्य अभियन्ता, यूपीसीडा, कानपुर।
7. श्री संजय तिवारी, नोडल ऑफिसर- एनजीटी, यूपीसीडा, कानपुर।
8. श्री अजय कुमार शर्मा, सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. श्री अमित प्रणव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
10. श्री डी०के० चतुर्वेदी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
11. श्री अमित कुमार सिंह, नगर विकास विभाग, जेएमडी, जल निगम (नगर)।
12. श्री वी०पी० यादव, निदेशक एवं हेड, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
13. श्री जी०रामबाबू, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
14. श्री आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
15. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
16. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
17. जिलाधिकारी, उन्नाव।
18. डा० एस० गुलाटी।

2- बैठक में सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम खानचन्दपुर, रनिया कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम हैजार्डस वेस्ट के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शी संस्था मैसर्स ई०आर०एम० कन्सल्टेन्ट प्रा०लि० से डी०पी०आर० तैयार करायी गयी थी, जिसके अनुसार डम्प क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62225 मी० टन थी तथा उक्त वेस्ट के डिस्पोजल की लागत रुपये 102 करोड़ एवं मृदा के आनसाइट Secured Landfill Facility (एस०एल०एफ०) पर रेमेडियेशन की लागत रुपये 24.23 करोड़ अनुमानित थी। वर्तमान में यूपीसीडा द्वारा नियुक्त पीएमसी आई०आई०टी०, कानपुर द्वारा डम्प क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 202620 मी० टन आंकलित की गयी है तथा उक्त क्रोमियम वेस्ट को नई एस०एल०एफ० विकसित कर डिस्पोज किये जाने में लागत रुपये 149 करोड़ आंकलित की गयी है।

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से डी०पी०आर० निर्मित हो जाने के बाद भी आई०आई०टी० कानपुर से पुनः सर्वे का औचित्य स्पष्ट करने तथा उक्त वेस्ट के निस्तारण हेतु जुलाई 2020 में यूपीसीडा को कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् भी अब तक निस्तारण का कार्य पूर्ण न होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने

की अपेक्षा की गयी। मुख्य अभियन्ता, यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु 03 बार निविदायें आमंत्रित की गयी थीं, परन्तु एक ही निविदा प्राप्त होने एवं निविदा में निस्तारण हेतु लागत अनुमानित लागत से लगभग 60 प्रतिशत अधिक होने के कारण टेन्डरिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

तत्क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि क्रोमियम वेस्ट को टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से निस्तारण हेतु आमंत्रित निविदा में **Treatment Storage and Disposal Facility (टी0एस0डी0एफ0)** आपरेटर का चयन न हो पाने के कारण आई0आई0टी0, कानपुर को क्रोमियम वेस्ट के वास्तविक आंकलन एवं निस्तारण हेतु तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु पी0एम0सी0 चयनित किया गया। उनके द्वारा सी0पी0सी0बी0 एवं आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से क्रोमियम वेस्ट की मात्रा एवं तकनीकी उपलब्ध करायी गयी, जिसकी लागत रुपये 149 करोड़ बतायी गयी है, जिसमें भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है, हेतु बजट के प्राविधान के लिये कार्यवाही प्रगति पर है। अन्तरिम व्यवस्था के रूप में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट को एच0डी0पी0ई0 शीट से

3— श्री वी0पी0 यादव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अभिमत दिया गया कि इस साइट से लगभग 18 कि0मी0 दूरी पर पूर्व से 02 टी0एस0डी0एफ0 स्थापित हैं, जोकि राज्य सरकार द्वारा लीज पर उपलब्ध करायी गयी भूमि पर एवं भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार से अनुदान प्राप्त कर स्थापित एवं संचालित हैं। नई एस0एल0एफ0 हेतु भूमि अधिग्रहीत किए जाने पर इसकी लागत और अधिक हो जाएगी एवं भूमि अधिग्रहण में समय भी लगेगा। अतः उचित होगा कि इन्ही टी0एस0डी0एफ0 आपरेटर्स से नो प्रॉफिट नो लास के आधार पर उक्त वेस्ट का निस्तारण करा लिया जाये तथा प्रथम चरण में विजिबल वेस्ट के वैज्ञानिक रूप से निस्तारण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता बतायी गयी, जिससे भूमिगत जल के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। द्वितीय चरण में कुप्रभावित मृदा के उपचार एवं तृतीय चरण में भूगर्भीय जल के रेमेडियेशन का कार्य कराये जाने का सुझाव दिया गया।

4— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्र से लगभग 18 कि0मी0 दूरी 02 टीएसडीएफ ऑपरेटर्स मैसर्स यूपी0 वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एवं मैसर्स भारत ऑयल वेस्ट मैनेजमेंट कुम्भी, कानपुर देहात स्थित हैं, जहाँ पर प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाइयों से जनित हैजार्डस वेस्ट लाकर स्टैबलाइजेशन उपरान्त सिक्वोर्ड लैण्डफिल में निस्तारित किया जाता है। उक्त दोनों संस्थाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त हैं। उक्त संस्थाओं के माध्यम से पूर्व में विकसित टी0एस0डी0एफ0 में वेस्ट को निस्तारित करने में लागत व समय की बचत हो सकेगी।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर सहमति व्यक्त की गयी तथा यूपीसीडा द्वारा लगभग 02 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी भण्डारित क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में कोई प्रगति न करने के दृष्टिगत यूपीसीडा से उक्त कार्य वापस लिये जाने तथा इस डम्प क्रोमियम वेस्ट को कानपुर देहात स्थित दोनों टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से निस्तारण हेतु समिति गठित करने के निर्देश दिये गये।

5— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राखीमण्डी, कानपुर नगर में 70-80 के दशकों में औद्योगिक इकाइयों से जनित राख एवं

कुछ मात्रा में क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण उक्त स्थल पर किया गया था। वर्तमान में राखीमण्डी, कानपुर क्षेत्र में किसी प्रकार का क्रोमियम वेस्ट भण्डारित नहीं है। उक्त क्षेत्र के भूगर्भीय जल की जांच करायी गयी है। भूगर्भीय जल में प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। उक्त क्षेत्र में उ०प्र० जल निगम द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। अतः वर्तमान में राखीमण्डी क्षेत्र में रेमेडियेशन की आवश्यकता नहीं है।

इस संबंध में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि राखीमण्डी, कानपुर में किसी प्रकार का क्रोमियम वेस्ट डम्प न होने तथा रेमेडियेशन की आवश्यकता न होने के संबंध में माननीय एन०जी०टी० को अवगत करा दिया जाये।

6— सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा० एन०जी०टी० द्वारा जाजमऊ, कानपुर स्थित टैनरी इकाइयों एवं स्थलों से क्रोमियम युक्त उत्प्रवाह के गंगा नदी में निस्तारण को रोकने के निर्देश दिये गये हैं। जाजमऊ कानपुर स्थित समस्त टैनरी इकाइयों के परिसर में स्वयं के प्राथमिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं, जिससे शोधन के उपरान्त उत्प्रवाह को 36 एमएलडी (27 एमएलडी सीवेज एवं 09 एमएलडी टैनरी उत्प्रवाह) क्षमता के उ०प्र० जल निगम द्वारा संचालित संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र पर कन्वेंस सिस्टम के माध्यम से सम्प्रेषित किया जाता है। सी०ई०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह को 130 एमएलडी, 05 एमएलडी एवं 43 एमएलडी एस०टी०पी० से शोधित सीवेज के साथ मिश्रित कर सिंचाई हेतु इरीगेशन चैनल में प्रयोग किया जाता है। उक्त सभी एस०टी०पी० का संचालन एवं रखरखाव मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा०लि० द्वारा किया जाता है। जाजमऊ टैनरी इकाइयों से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह की मात्रा को नियंत्रित किये जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टैनरी इकाइयों की उत्पादन क्षमता 50 प्रतिशत पर प्रतिबंधित की गयी है तथा 15 दिन के पाक्षिक रोस्टर के अनुसार संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त 220 ड्रम एवं 488 पैडल विस्थापित/डिस्मेन्टल कराये गये हैं तथा 441 ड्रम एवं 184 पैडल को सील किया गया है, जिससे टैनरी इकाइयों द्वारा ओवर प्रोडक्शन के कारण अतिरिक्त उत्प्रवाह जनित न हो सके। टैनरी इकाइयों का जिला स्तरीय समिति, थर्ड पार्टी तकनीकी संस्थान एवं राज्य बोर्ड द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण तथा बंदी की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में सी०ई०टी०पी० द्वारा मानकों की प्राप्ति नहीं की जा रही है, जिसके कारण सी०ई०टी०पी० आपरेटर गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई तथा एस०टी०पी० आपरेटर मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा०लि० पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है तथा जल निगम एवं मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा०लि० के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही भी की गयी है। टैनरी इकाइयों से जनित क्रोम लिंकर के शुद्धिकरण हेतु कॉमन क्रोम रिकवरी प्लांट स्थापित है, जिसे नगर निगम, कानपुर द्वारा संचालित किया जाता है। क्रोम लिंकर का मुफ्त में एकत्रण एवं ट्रीटमेंट किया जाता है तथा रिकवर्ड क्रोम को पुनः टैनरी इकाइयों को बेच दिया जाता है।

जाजमऊ स्थित टैनरी इकाइयों से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु 20 एम०एल०डी० क्षमता के नये सी०ई०टी०पी० की स्थापना हेतु नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा रुपये 554 करोड़ लागत की परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिसमें से एस०पी०वी० द्वारा 25 करोड़ वहन किया जायेगा एवं 137 करोड़ से टैनरीज में स्थापित पी०ई०टी०पी० के



अपग्रेडेशन का कार्य किया जायेगा। शेष 392 करोड़ की धनराशि एनएमसीजी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। 48 टैनरी इकाइयों द्वारा पीईटीपी के अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा 252 टैनरी इकाइयों द्वारा 03 माह में पीईटीपी अपग्रेड किये जाने का शपथ पत्र जमा गया है। राज्य बोर्ड द्वारा अंशदान जमा न करने वाली 121 टैनरी इकाइयों को बंदी निर्देश जारी किये गये हैं।

सीईटीपी का निर्माण कार्य जाजमऊ टैनरी इफ्लूएंट ट्रीटमेंट एसोसियेशन द्वारा निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् मैसर्स वीए0 टेक वाबाग लि0 को आवंटित कर दिया गया है। उक्त 20 एमएलडी नये सीईटीपी का निर्माण 31.12.2022 तक पूर्ण किया जाना एवं कमिशनिंग 13.08.2023 तक किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सीईटीपी के निर्माण के पश्चात् टैनरी इकाइयों से जनित प्रदूषण की समस्या का निदान सम्भव हो सकेगा।

7- अंत में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये:

1- खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट को एचडीपीई शीट से

(कार्यवाही-यूपीसीडा)

2- क्रोमियम वेस्ट के टीएसडीएफ के माध्यम से निस्तारण हेतु दरें निर्धारित करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाये :

- |                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1- श्री वीपी यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली | -अध्यक्ष      |
| 2- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ                                                        | -सदस्य संयोजक |
| 3- डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली                                 | -सदस्य        |
| 4- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात                                                                 | -सदस्य        |

उक्त समिति द्वारा टीएसडीएफ संस्थाओं के साथ बैठक कर क्रोमियम वेस्ट के उठान एवं टीएसडीएफ में इनके सुरक्षित निस्तारण हेतु व्यावहारिक दरें निर्धारित करते हुए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/  
सीपीसीबी/यूपीसीबी/एनएमसीजी/ उप समिति)

3- खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण का कार्य यूपीसीडा से वापस लिया जाये। खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण का कार्य गठित समिति के पर्यवेक्षण में स्थानीय स्तर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित उप समिति के माध्यम से पूर्ण कराया जाये। उप समिति में जनपद कानपुर देहात के क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० को भी सम्मिलित किया जाये। उक्त कार्य के सम्पादन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

विभाग द्वारा आवश्यक बजट का प्राविधान कराकर जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा संचालित एस्क्रो एकाउन्ट में जमा कराया जाये।

(कार्यवाही—अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/जिलाधिकारी, कानपुर देहात/यूपीपीसीबी/उप समिति )


4— जाजमऊ, कानपुर स्थित टैनरी इकाइयों में स्थापित पी0ई0टी0पी0 के अपग्रेडेशन हेतु अपग्रेडेशन कार्य समयबद्ध रूप से शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा लिया जाये तथा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से पी0ई0टी0पी0 के अपग्रेडेशन का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये।

(कार्यवाही—जिलाधिकारी, कानपुर नगर/यूपीपीसीबी/जिला स्तरीय समिति)

5— जाजमऊ, कानपुर में निर्माणाधीन 20 एम0एल0डी0 क्षमता के नये सी0ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु अपना अंशदान की धनराशि जमा न करने वाली इकाइयों के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही—यूपीपीसीबी/जटेटा/टैनरीज)

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

  
( मनोज सिंह )

अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7


संख्या-NCF/71/81-7-2022-44(रिट)/2016 टी0सी0-2

लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2022

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2— सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3— महा निदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
- 4— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडी, लखनपुर, कानपुर।
- 5— जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात/उन्नाव।
- 6— सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 7— श्री सुधीर चिन्तलपट्टी, वैज्ञानिक-ई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।

- 8- श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
- 9- डॉ० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
- 10- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 11- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
- 12- क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ।
- 13- जाजमऊ टेनरी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एसोसिएशन, कानपुर।
- 14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
( मनोज सिंह )  
अपर मुख्य सचिव।




**उत्तर प्रदेश शासन**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7**  
**संख्या-NGT-192/81-7-2022-44(रिट)/2016 टी0सी0-2**  
**लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2022**

**कार्यालय ज्ञाप**

माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 985/2019 विद ओ0ए0 संख्या 986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एक्सपर्ट कमेटी की दिनांक 13.05.2022 को बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट को कानपुर देहात स्थित 02 संयुक्त टी0एस0डी0एफ0, जोकि राज्य सरकार द्वारा लीज पर उपलब्ध करायी गयी भूमि पर एवं भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार से अनुदान प्राप्त कर स्थापित एवं संचालित हैं, के माध्यम से निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने की दृष्टि से दरें निर्धारित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संयुक्त टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरों के निर्धारण एवं निस्तारण कराये जाने की कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:

- 1- श्री वी0पी0 यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1,  
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली। - अध्यक्ष
  - 2- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ -सदस्य संयोजक
  - 3- डा0 प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा  
मिशन, नई दिल्ली - सदस्य
  - 4-अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात - सदस्य
- 2- उक्त समिति के दायित्व निम्नवत होंगे :
- 1- कानपुर देहात में अवस्थित दोनो टी0एस0डी0एफ0 नामतः मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि0 एवं यू0पी0 वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों से नेगोशियेट कर खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के उठान, उपचार एवं सुरक्षित निस्तारण हेतु दरें निर्धारित की जायेगी।
  - 2- खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट को टी0एस0डी0एफ0 आपरेटर द्वारा उठान, परिवहन व निस्तारण हेतु मार्गदर्शक रोड मैप तैयार किया जायेगा।
  - 3- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित उप समिति द्वारा टी0एस0डी0एफ0 आपरेटर के माध्यम से क्रोमियम वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण की कार्यवाही का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का नियमित अनुश्रवण एवं तकनीकी मार्गदर्शन, समिति द्वारा प्रदान किया जायेगा।

  
**( मनोज सिंह )**  
 अपर मुख्य सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
- 3- डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
- 4- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 5- जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
- 6- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( मनोज सिंह )  
अपर मुख्य सचिव।

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7**  
**संख्या-NAT-193/81-7-2022-44(रिट)/2016 टी0सी0-2**  
**लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2022**

**कार्यालय ज्ञाप**

माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-985/2019 विद ओ0ए0 संख्या-986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एक्सपर्ट कमेटी की दिनांक 13.05.2022 को बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट को कानपुर देहात स्थित 02 संयुक्त टी0एस0डी0एफ0, जोकि राज्य सरकार द्वारा लीज पर उपलब्ध करायी गयी भूमि पर एवं भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार से अनुदान प्राप्त कर स्थापित एवं संचालित हैं, के माध्यम से निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा संयुक्त टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरें निर्धारित करने हेतु समिति गठित की गयी है। उक्त समिति द्वारा निर्धारित दरों पर टी0एस0डी0एफ0 ऑपरेटर/आपरेटर्स द्वारा उठान एवं सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यादेश, मापन कार्यों का भौतिक सत्यापन, गुणवत्ता जांच एवं भुगतान की संस्तुति हेतु निम्नानुसार उप समिति का गठन किया जाता है :-

- |                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1-अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात                           | - अध्यक्ष    |
| 2-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात   | - सदस्य सचिव |
| 3-अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड, कानपुर देहात | - सदस्य      |

उपसमिति द्वारा श्री वी0पी0 यादव, डायरेक्टर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की अध्यक्षता में गठित समिति के तकनीकी निर्देशन में क्रोमियम वेस्ट के वैज्ञानिक रूप से निस्तारण की कार्यवाही सम्पादित करायी जाएगी एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति की नियमित रूप से रिपोर्ट जिलाधिकारी, कानपुर देहात के माध्यम से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा समिति को प्रेषित की जाएगी।

( मनोज सिंह )

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

**प्रतिलिपि**-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
- 3- श्री वी0पी0 यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।



- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड, कानपुर देहात।
- 6- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
- 7- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( मनोज सिंह )  
अपर मुख्य सचिव।

खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक 30.05.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के सदस्यों एवं टी०एस०डी०एफ० आपरेटरों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन०जी०टी० द्वारा ग्राम खानचन्दपुर, रनिया कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम हैजार्डस वेस्ट को टी०एस०डी०एफ० के माध्यम से निस्तारित कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.05.2022 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ०प्र० शासन द्वारा टी०एस०डी०एफ० के माध्यम से क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु इस समिति का गठन किया गया है।

मेसर्स भारत आयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट के उपस्थित प्रतिनिधि श्री भरत मिगलानी तकनीकी निदेशक, द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त टी०एस०डी०एफ० वर्ष 2010 से संचालित है तथा इसकी 02 सेल कैप्ड हो चुकी हैं तथा तृतीय सेल में 30,000 मी०टन वेस्ट डिस्पोजल की क्षमता शेष है। इसके अतिरिक्त उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्तमान टी०एस०डी०एफ० स्थल से लगभग 1.5 किमी० दूरी पर उपलब्ध करायी गयी 10 एकड़ भूमि पर नया टी०एस०डी०एफ० प्रस्तावित है, जिसकी नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति एवं स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति राज्य बोर्ड से प्राप्त होने की स्थिति में दिसम्बर 2022 तक लगभग 1.00 लाख मी०टन क्षमता की प्रथम सेल संचालित हो जायेगी, जिसके पश्चात दैनिक वेस्ट स्टैबलाइजेशन की क्षमता 100 मी०टन प्रतिदिन से बढ़कर लगभग 600 मी०टन प्रतिदिन हो जायेगी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु 02 विधियाँ हैं। पहली विधि के अनुसार अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट, लाइम एवं सीमेंट से स्टैबलाइज कर वेस्ट का निस्तारण किया जाता है। दूसरी विधि के अनुसार फेरस सल्फेट के स्थान पर सोडियम मेटा बाई सल्फाइड का प्रयोग करते हुए स्टैबलाइजेशन के बाद वेस्ट का निस्तारण किया जाता है। फेरस सल्फेट के माध्यम से स्टैबलाइजेशन किये जाने पर वेस्ट के आयतन में काफी अधिक वृद्धि हो जायेगी, जिसके कारण टी०एस०डी०एफ० की सेल में हैण्डलिंग की लागत अधिक हो जायेगी। अतः सोडियम मेटा बाई सल्फाइड का प्रयोग करने वाली विधि से निस्तारण उपयुक्त विकल्प होगा। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में अप्रैल 2020 में उनकी रिसर्च टीम द्वारा सैम्पलिंग एवं टेस्टिंग कार्य किया गया था एवं दिनांक 28.05.2022 को भी सैम्पलिंग की गयी है, जिसमें क्रोमियम वेस्ट में हैक्सवैलेंट क्रोमियम की सांद्रता 200 पीपीएम से 15000 पीपीएम तक पायी गयी है। उनके द्वारा क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरें उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 03.05.2022 तक का समय चाहा गया।

मेसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार रेडडी, निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण की विधि श्री भरत मिगलानी के अनुसार ही है। उनके यहाँ लगभग 1.5 लाख मी०टन निस्तारण क्षमता की एस०एल०एफ० की सेल तैयार है। जिसमें लगभग 300 मी०टन/दिन क्षमता से क्रोमियम वेस्ट को स्टैबलाइज कर निस्तारण किया जा सकता है। यदि निस्तारण योग्य क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 1,22,000 टन है तो निस्तारण में मानसून सीजन को छोड़कर लगभग 300 दिन का समय लगेगा तथा निस्तारण योग्य क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62225 टन होने की स्थिति में निस्तारण में मानसून सीजन को छोड़कर लगभग 6 माह का समय लगेगा।





सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 07.01.2020 को प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में हेतु कोमियम वेस्ट के एस०एल०एफ० में निस्तारण हेतु मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट द्वारा रुपये 7000 प्रति टन टैक्स को छोड़कर एवं मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि० द्वारा रुपये 4000 प्रति टन की दरें सूचित की गयी थी। इस सम्बंध में श्री भरत मिगलानी द्वारा अवगत कराया गया कि तत्समय उनके द्वारा सूचित दरें कोमियम वेस्ट के एक सैम्पल की जांच में कोमियम की सांद्रता 10-20 पीपीएम पाये जाने के आधार पर की गयी थी परन्तु वर्तमान में कोमियम की सांद्रता 200 से 15000 पीपीएम तक पाये जाने एवं रसायनों के मूल्य में काफी अधिक वृद्धि हो जाने के कारण उक्त दर वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है।

सदस्य सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि कोमियम वेस्ट का वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित निस्तारण हम सभी का सामाजिक दायित्व है अतः सभी से अपेक्षा है कि इस कार्य में राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सहयोग करें। दोनों टी०एस०डी०एफ० के आपरेटर के प्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस सामाजिक कार्य में उनके स्तर से प्रभावी सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा अपेक्षा की गयी कि वेस्ट को टी०एस०डी०एफ० स्थल तक ले जाने के मार्ग में पडने वाले टोल टैक्स को माफ किये जाने में जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये। अपर जिलाधिकारी, प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया कि उनके स्तर से टोल टैक्स को माफ कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा स्थल का भौतिक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आंकलन भी किया जायेगा।

डा० प्रवीण कुमार, एन०एम०सीजी० द्वारा दरों के निर्धारण हेतु कोमियम वेस्ट की सांद्रता का भी संज्ञान लिये जाने का सुझाव दिया गया। डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोमियम वेस्ट के स्टैबलाइजेशन के पश्चात प्रत्येक बैच की रैण्डम एनालिसिस के बाद मानक के अनुरूप होने की स्थिति में ही एस०एल०एफ० में निस्तारण का सुझाव दिया गया।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एवं हेड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोमियम वेस्ट के निस्तारण की कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु एस०ओ०पी० बनाये जाने की अपेक्षा की गयी तथा दोनों टी०एस०डी०एफ० आपरेटरों से निस्तारण हेतु दरें प्राप्त होने पर समिति स्तर से उक्त दरों की मार्केट रेट से तुलना कर दरों के निर्धारण के सम्बंध में अंतिम निर्णय लिये जाने का सुझाव दिया गया।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोनों टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स को दिनांक 03 जून 2022 तक कोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु विस्तृत एनालिसिस के साथ दरें उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा समिति के समस्त सदस्यों को कोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात के माध्यम से तैयार की जाने वाली एस०ओ०पी० पर अंतिम रूप दिये जाने के साथ साथ दोनों टी०एस०डी०एफ० आपरेटर के द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट पर परिचर्चा करने के पश्चात अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से दिनांक 07.06.2022 को पुनः बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव



उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-१२ वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - H76666 / सी-२/६१३/२०२२

दिनांक-०३.०६.२०२२

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
२. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
३. श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-१ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
४. डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
५. डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
६. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
७. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
८. गार्ड फाइल।



सदस्य सचिव



खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक 07.06.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के सदस्यों एवं टी०एस०डी०एफ० आपरेटरों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा टी०एस०डी०एफ० आपरेटरों के उपस्थिति प्रतिनिधियों से ग्राम खानचन्दपुर, रनिया कानपुर देहात में डम्प कोमियम हैजार्डस वेस्ट को टी०एस०डी०एफ० के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु रेट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। मैसर्स भारत आयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट के उपस्थित प्रतिनिधि श्री भरत मिगलानी तकनीकी निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी हार्ट सर्जरी हुई है तथा रेट उपलब्ध कराये जाने हेतु 2-3 दिन का समय चाहा गया। मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार, निदेशक द्वारा दिनांक 09.06.2022 तक रेट उपलब्ध कराया जायेगा।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर डम्प कोमियम वेस्ट हाइट्रोजीनियस है तथा हेक्सवैलेंट कोमियम की सांद्रता भिन्न-भिन्न है। दोनों आपरेटरों हेतु कॉमन रेट निर्धारित किया जाना उचित होगा, जिससे कि तदानुसार बजट की डिमाण्ड शासन से की जा सके।

श्री वी०पी० यादव द्वारा कहा गया कि इस समय टेन्टेटिव रेट का आंकलन ही किया जा सकता है, वास्तविक केमिकल की मात्रा का आंकलन वेस्ट के स्टैब्लाइजेशन के समय कोमियम की सांद्रता के आधार पर हो सकेगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि डम्प वेस्ट को ग्राइड में बांटकर बैच के आधार पर कोमियम कन्सन्ट्रेशन की जांच कर सकते हैं तथा उक्त के आधार पर कॉमन रेट की गणना की जा सकती है। उनके द्वारा टी०एस०डी०एफ० आपरेटरों से वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन, स्टैब्लाइजेशन एवं डिस्पोजल हेतु एस०ओ०पी० भी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि श्री मसूद द्वारा स्टैब्लाइजेशन के समय कोमियम की सांद्रता के आधार पर रसायनों की वास्तविक मात्रा तथा वेस्ट के डिस्पोजल हेतु कॉमन दरों, दोनों के आधार पर बिलिंग हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोनों टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स को दिनांक 09 जून 2022 तक कोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु दरें उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा दोनों टी०एस०डी०एफ० आपरेटर के द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट पर परिचर्चा करने हेतु सर्वसम्मति से दिनांक 10.06.2022 को पुनः बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।



(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव



उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-१२ वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - H 76937/सी-2/613/2022

दिनांक-10.06.2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
4. डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
7. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
8. गार्ड फाइल।



सदस्य सचिव



खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक 10.06.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के सदस्यों एवं टी०एस०डी०एफ० आपरेटरों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स भारत आयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट, कानपुर देहात तथा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कानपुर देहात द्वारा खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट को टी०एस०डी०एफ० के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु दरें उपलब्ध करा दी गयी है।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा टी०एस०डी०एफ० आपरेटरों के उपस्थिति प्रतिनिधियों से दरों के सम्बंध में जमा किये गये प्रस्तावों को ब्रीफ किये जाने की अपेक्षा की गयी।

मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि श्री बसंत कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि कोमियम वेस्ट के उठान, ट्रान्सपोर्टेशन, स्टैबलाइजेशन एवं निस्तारण हेतु रुपये 11997 प्रति मी०टन सूचित की गयी तथा उक्त कार्य को पूर्ण होने में मानसून सीजन को छोड़कर 6 माह का समय लगेगा।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट द्वारा दी गयी दरों का केमिकल/ट्रान्सपोर्टेशन/स्टैबलाइजेशन आदि मदों में पृथक-पृथक ब्रेकप करते हुए पूर्ण विवरण सहित रिवाइज प्रपोजल जमा किये जाने के निर्देश दिये गये। डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा टी०एस०डी०एफ० आपरेटर से दरों के निर्धारण हेतु जो केमिकल कन्सन्ट्रेशन ली गयी है, उसे भी अवश्य सम्मिलित किये जाने की अपेक्षा की गयी। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 2020 को बैठक में उक्त वेस्ट के निस्तारण हेतु मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट द्वारा 7.0 रुपये प्रति किग्रा की दर दी गयी थी। उक्त दरों में वृद्धि के कारण भी अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

तत्पश्चात मैसर्स भारत आयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट के उपस्थित प्रतिनिधि श्री भरत मिगलानी तकनीकी निदेशक द्वारा उक्त कोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरें सूचित की गयी, जिसमें लोडिंग कॉस्ट, जे०सी०बी०, ट्रक्स, लेबर आदि हेतु रुपये 6.7575 प्रति किग्रा तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट से स्टैबलाइजेशन हेतु केमिकल कास्ट रुपये 26.78 सूचित की गयी। उक्त के अतिरिक्त हेक्सावैलेंट कोमियम की 200 पीपीएम सांद्रता मानते हुए वेस्ट के स्टैबलाइजेशन हेतु रुपये 17.74 सूचित की गयी। मैसर्स भारत आयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट के उपस्थित प्रतिनिधि श्री अजय सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कोमियम वेस्ट का सैम्पलिंग कार्य किया गया है जिसमें 1.0 मीटर की गहराई पर हेक्सावैलेंट कोमियम की अधिकांश स्थलों पर सांद्रता 200 पीपीएम से कम पायी गयी है।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 2020 को बैठक में उक्त वेस्ट के निस्तारण हेतु मैसर्स भारत आयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा 7.0 रुपये प्रति किग्रा की दर दी गयी थी। श्री मिगलानी द्वारा अवगत कराया गया कि तत्समय हेक्सावैलेंट कोमियम की सांद्रता 10-20 पीपीएम के आधार पर रेट दिये गये थे तथा Bulking Factor -1 की त्रुटि हो गयी थी। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त दरों में अप्रस्ताशित वृद्धि के कारणों को रिवाइज प्रपोजल में सम्मिलित किये जाने की अपेक्षा की गयी।



सदस्य सचिव, महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि 2010 में इनके कैम्पस में समान प्रकृति का वेस्ट थी जो रुपये 1375 प्रतिटन था। जौनपुर में बाईकोमेट बनाने वाली इकाई से जनित स्लज में हेक्सावैलेंट कोमियम रहता है तथा मैसर्स यू0पी0 वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट द्वारा 4.0 रुपये प्रति किग्रा की दर से उक्त वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है। टी0एस0डी0एफ0 द्वारा जो एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है उसकी शर्त के अनुसार वेस्ट के निस्तारण हेतु दरें समिति निर्धारित करेगी। दोनो टी0एस0डी0एफ0 आपरेटरों द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों में काफी अधिक अन्तर है। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टी0एस0डी0एफ0 आपरेटरों से यह अपेक्षा की गयी कि वे इस कार्य को व्यवसायिक अवसर के रूप में न लेते हुए जनहित के कार्य के रूप में लेते हुए राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करें।

डा0 आर0के0 सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा सुझाव दिया गया कि कमेटी द्वारा भी अपने स्तर से सैम्पलिंग करायी जानी चाहिये तत्पश्चात रेट का निर्धारण किया जाना उचित होगा। इस सम्बंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से सैम्पलिंग करके केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में विश्लेषण कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोनो टी0एस0डी0एफ0 आपरेटर्स को दिनांक 13 जून 2022 तक कोमियम वेस्ट के टी0एस0डी0एफ0 में निस्तारण हेतु दरों के सम्बंध में रिवाइज प्रपोजल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा दोनो टी0एस0डी0एफ0 आपरेटर के द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट पर परिचर्चा करने हेतु सर्वसम्मति से दिनांक 14.06.2022 को पुनः बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - H77037/सी-2/613/2022

दिनांक- 13-6-22

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री वी0पी0 यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
4. डा0 प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. डा0 आर0के0 सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
7. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
8. गार्ड फाइल।

सदस्य सचिव



खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक 14.06.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के सदस्यों, डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली एवं टी०एस०डी०एफ० आपरेटरों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मैसर्स भारत आयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट, कानपुर देहात तथा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कानपुर देहात द्वारा खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट को टी०एस०डी०एफ० के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु दरों के संशोधित प्रोजेक्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

मैसर्स भारत आयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट के उपस्थित प्रतिनिधि श्री भरत मिगलानी तकनीकी निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरें पूर्व में उपलब्ध करा दी गयी हैं। उनके द्वारा केमिकल डोजिंग के बारे में समिति से मार्गदर्शन चाहा गया, जिससे कि केमिकल कॉस्ट का आंकलन किया जा सके। मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरें उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।

डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जनवरी 2020 में प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में उक्त क्रोमियम वेस्ट के डिस्पोजल हेतु रेट टी०एस०डी०एफ० आपरेटरों द्वारा दिये गये थे। वर्ष 2020 के पश्चात से अब तक विशेष रूप से क्रोमिकम डम्प में क्रोमियम की सांद्रता एवं केमिकल के मूल्यों में परिवर्तन हो सकता है। मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट द्वारा क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरों के सम्बंध में जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें केमिकल/ट्रान्सपोर्टेशन/स्टैबलाइजेशन आदि मदों में पृथक-पृथक ब्रेकप नहीं दिया गया है तथा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि समिति द्वारा भी संयुक्त रूप से सैम्पलिंग की जायेगी, जिससे क्रोमियम डम्प में वास्तविक क्रोमियम कन्सन्ट्रेशन ज्ञात हो सके तथा उसके आधार पर दोनों टी०एस०डी०एफ० से प्राप्त दरों पर निर्णय लिया जा सकेगा। उनके द्वारा संयुक्त रूप से सैम्पलिंग हेतु समिति के सदस्यों से प्रतिनिधि नामित किये जाने की अपेक्षा की गयी तथा क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात को कोआर्डिनेशन एवं लाजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी। उनके द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स द्वारा भी क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु न्यूनतम दरों की गणना हेतु प्रयास किया जाये।

डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरें निर्धारित किये जाने में मैसर्स ई०आर०एम० कन्सलटेंट द्वारा तैयार करायी गयी डी०पी०आर० में उल्लिखित केमिकल कास्ट, केमिकल कन्सन्ट्रेशन आदि का भी संज्ञान लिये जाने का सुझाव दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।



(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव



उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - H77198 / सी-2/613/2022

दिनांक- 15-6-2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
4. डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
7. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
8. गार्ड फाइल।



सदस्य सचिव



खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक 07.07.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के सदस्यों एवं डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा भाग लिया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में स्थित कोमियम कन्टामिनेटेड साइट से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य बोर्ड की टीम द्वारा टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से सैम्पलिंग दिनांक 16.06.2022 को की गयी थी, जिसमें सतह से, मध्य से एवं तलहटी से 11 स्थानों से पृथक-पृथक एवं कम्पोजिट कुल 44 नमूने एकत्र कर विश्लेषण कार्य कराया गया था। उक्त नमूनों में हेक्सावैलेंट कोमियम कन्सन्ट्रेशन औसतन 155 मिग्रा/ली० (99 मिग्रा०/ली० से 214 मिग्रा०/ली०) पायी गयी तथा टोटल कोमियम की सांद्रता 23800 मिग्रा/किग्रा० से 34800 मिग्रा/किग्रा० पायी गयी। टीम द्वारा स्थल पर कन्टामिनेटेड वेस्ट के साथ-साथ कुछ स्थलों पर फलाई ऐश के ढेर भी सूचित किया गया।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि टी०एस०डी०एफ० से जो प्रयुक्त केमिकल्स की दरें प्राप्त होंगी उनकी मार्केट रेट से तुलना करके उनकी दरों में कमी लायी जा सकती है। इस हेतु टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स से स्टैबलाइजेशन हेतु प्रयुक्त केमिकल की मात्रा एवं केमिकल मूल्यों का भी ब्रेकप प्राप्त कर लिया जाये। टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स द्वारा स्टैबलाइजेशन हेतु प्रस्तुत केमिकल्स की मात्रा एवं मैसर्स ई०आर०एम० इण्डिया प्रा०लि० द्वारा तैयार की गयी डी०पी०आर० में उल्लिखित स्टैबलाइजेशन हेतु केमिकल्स की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन कर लिये जाने का सुझाव दिया गया।

डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डी०पी०आर० में उल्लिखित स्टैबलाइजेशन हेतु प्रयुक्त केमिकल्स की मात्रा को ही लिये जाने का सुझाव दिया गया। श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट को स्टैबलाइजेशन किये जाने हेतु किसी भी प्रक्रिया को अपनाने की छूट दिये जाने एवं केवल स्टैबलाइज्ड वेस्ट के टीसीएलपी टेस्ट में मानक के अनुरूप सुनिश्चित करने की बाध्यता रखने का सुझाव दिया गया।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट को टी०एस०डी०एफ० के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु दरों के सम्बंध में रिवाइज प्रपोजल प्राप्त किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से टी०एस०डी०एफ० को पत्र प्रेषित कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोनो टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स से दिनांक 10 जुलाई 2022 तक कोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु ट्रान्सपोटेशन, स्टैबलाइजेशन, ओवर हेड दरों एवं स्टैबलाइजेशन हेतु प्रयुक्त केमिकल्स की मात्रा एवं मूल्य दर्शाते हुए रिवाइज प्रपोजल प्राप्त करने तथा दोनो टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स के द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट पर परिचर्चा करने हेतु सर्वसम्मति से दिनांक 13.07.2022 को पुनः बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-१२ वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - H78369 / सी-२/६१३/२०२२

दिनांक- १३-७-२२

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
२. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
३. श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-१ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
४. डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
५. डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
६. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
७. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
८. गार्ड फाइल।



सदस्य सचिव



खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक 13.07.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के सदस्यों एवं डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली तथा टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स द्वारा भाग लिया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स से खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु ट्रान्सपोर्टेशन, स्टैबलाइजेशन, ओवर हेड दरों एवं स्टैबलाइजेशन हेतु प्रयुक्त केमिकल्स की मात्रा एवं मूल्य दर्शाते हुए रिवाइज प्रपोजल प्राप्त किये जाने हेतु मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एवं मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि०, कानपुर देहात को दिनांक 08.07.2022 को पत्र प्रेषित किया गया था। तत्कम में सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स से खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट को टी०एस०डी०एफ० के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु दरों के सम्बंध में रिवाइज प्रपोजल प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी।

इस सम्बंध में मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कानपुर देहात के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा प्रपोजल जमा किये जाने हेतु दिनांक 17.07.2022 तक का अतिरिक्त समय चाहा गया। मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट के उपस्थित प्रतिनिधि श्री भरत मिगलानी, तकनीकी निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि स्टैबलाइजेशन हेतु डम्प वेस्ट में हेक्सावैलेंट कोमियम की कन्सन्ट्रेशन 300 से 400 पीपीएम लेकर स्टैबलाइजेशन में प्रयुक्त होने वाले केमिकल्स की गणना गयी है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कोमियम वेस्ट के स्टैबलाइजेशन में अच्छे परिणाम हेतु 40 प्रतिशत एसिड प्रयोग किया जाना होगा तथा दरों की गणना में Bulking Factor-2.61 लिया गया है।

डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स ई०आर०एम० इण्डिया प्रा०लि० द्वारा तैयार करायी गयी डीपीआर में स्टैबलाइजेशन में 30 प्रतिशत एसिड का प्रयोग किया जाना उल्लिखित है। एसिड की 30 प्रतिशत मात्रा का प्रयोग करके स्टैबलाइजेशन हेतु प्रयुक्त केमिकल्स की दरों में कमी लायी जा सकती है।

सदस्य सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में स्थित कोमियम कन्टामिनेटेड साइट से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य बोर्ड की टीम द्वारा टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से सैम्पलिंग दिनांक 16.06.2022 को की गयी थी। उक्त सैम्पलिंग नमूनों में हेक्सावैलेंट कोमियम कन्सन्ट्रेशन औसतन 155 मिग्रा/ली० (99 मिग्रा०/ली० से 214 मिग्रा०/ली०) पायी गयी। उक्त के आधार पर ही टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स को दरों के सम्बंध में प्रस्ताव देने होंगे।

श्री भरत मिगलानी, तकनीकी निदेशक द्वारा खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरों की पुनः गणना करके रिवाइज प्रपोजल दिनांक 17.07.2022 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु समिति को अवगत कराया गया।

डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स से उनकी एस०एल०एफ० की प्रस्तावित निस्तारण हेतु अवशेष क्षमता का भी उल्लेख करते हुए समस्त सूचनाओं सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोनो टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स से दिनांक 17 जुलाई 2022 तक कोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु ट्रान्सपोर्टेशन, स्टैबलाइजेशन, ओवर हेड दरों एवं स्टैबलाइजेशन हेतु प्रयुक्त केमिकल्स की मात्रा की पुनः आंकलन



करते हुए एवं मूल्य दर्शाते हुए रिवाइज प्रपोजल प्राप्त करने तथा दोनो टी0एस0डी0एफ0 आपरेटर के द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट पर परिचर्चा करने हेतु सर्वसम्मति से दिनांक 18.07.2022 को पुनः बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - H 78521/सी-2/613/2022

दिनांक- 15-7-22

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री वी0पी0 यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
4. डा0 प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. डा0 आर0के0 सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
7. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
8. गार्ड फाइल।

सदस्य सचिव

खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक 18.07.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के सदस्यों एवं डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली तथा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टी०एस०डी०एफ० मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात के उपस्थित प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार, निदेशक से खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट को टी०एस०डी०एफ० के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु दरों के सम्बंध में रिवाइज प्रपोजल प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी।

इस सम्बंध में मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कानपुर देहात के उपस्थित प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार, निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा खानचन्दपुर रनियों कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट की पुनः सैम्पलिंग कार्य कराया गया है तथा वेस्ट के स्टैब्लाइजेशन हेतु विभिन्न केमिकल्स का प्रयोग कर क्रोमियम वेस्ट के स्टैब्लाइजेशन हेतु परीक्षण कार्य किया जा रहा है, जिससे स्टैब्लाइजेशन में प्रयुक्त केमिकल्स की लागत को कम करते हुए न्यूनतम दरें समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकें। उक्त परीक्षण कार्य हेतु श्री राजीव कुमार द्वारा दिनांक 20.07.2022 तक का समय चाहा गया।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्दपुर रनियों में दिनांक 16.06.2022 को संयुक्त रूप से सैम्पलिंग का कार्य किया गया था, जिसमें टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। उक्त सैम्पलिंग में 44 नमूने एकत्र किये गये थे एवं उक्त सैम्पल्स में हैक्सावैलेंट क्रोमियम की सान्द्रता पूर्व की अपेक्षा काफी कम पायी गयी है। उक्त सैम्पलिंग में प्राप्त परिणामों के आधार पर हैक्सावैलेंट क्रोमियम की प्रारम्भिक सान्द्रता को लेते हुए गणना की जा सकती है, अनावश्यक बार-बार सैम्पलिंग किये जाने से प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है।

डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स से यह अपेक्षा की गयी कि क्रोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु ट्रान्सपोर्टेशन, स्टैब्लाइजेशन, ओवर हेड दरों एवं स्टैब्लाइजेशन हेतु प्रयुक्त केमिकल्स की मात्रा प्रतिशत में एवं उनके न्यूनतम मूल्य दर्शाते हुए फाइनल प्रपोजल दिनांक 20.07.2022 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दिया जाये।

अन्त में दोनो टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट पर परिचर्चा करने हेतु सर्वसम्मति से दिनांक 21.07.2022 को पुनः बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव



उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - H78697/सी-2/613/2022

दिनांक- 20-7-22

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
4. डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
7. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
8. गार्ड फाइल।

सदस्य सचिव

खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक 21.07.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के सदस्यों एवं डा० आर०के सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ तथा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा टी०एस०डी०एफ० के उपस्थित प्रतिनिधियों से खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

तत्कम में मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात के उपस्थित प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 16.06.2022 को खानचन्दपुर रनियाँ में संयुक्त रूप से की गयी सैम्पलिंग में एकत्रित नमूनों में हैक्सावैलेंट क्रोमियम की सांद्रता 124 पीपीएम से 301 पीपीएम पायी गयी है तथा हैक्सावैलेंट क्रोमियम की औसत सांद्रता 187 पीपीएम पायी गयी है। उनके द्वारा क्रोमियम वेस्ट के स्टैब्लाइजेशन हेतु रेड मड 500 प्रतिशत, लाइम-27 प्रतिशत, सीमेंट-230 प्रतिशत तथा पिकलिंग एसिड-150 प्रतिशत का प्रयोग करने पर लागत, सोडियम मेटा बाई सल्फेट से स्टैब्लाइजेशन हेतु लागत से कम पायी गयी है तथा bulking factor- 170 है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में हैक्सावैलेंट क्रोमियम की 5-7 पीपीएम सान्द्रता पर bulking factor- 120 लेते हुए स्टैब्लाइजेशन हेतु लागत रुपये 6200 प्रति टन आयी थी तथा वर्तमान में 187 पीपीएम सान्द्रता पर bulking factor- 170 लेते हुए स्टैब्लाइजेशन हेतु लागत रुपये 8400 प्रति टन आयी है।


डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स से विभिन्न मदों एवं स्टैब्लाइजेशन में प्रयुक्त होने वाले केमिकल्स का प्रतिशत में ब्रेकप उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ समय पहले मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट द्वारा खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु रुपये 11.90 की दरें दी गयी थी तथा अब उसी वेस्ट के निस्तारण हेतु रुपये 16.99 की दरें दी जा रही है, जोकि अनुचित है। टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को देखने के पश्चात भी क्रोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु इस प्रकार से बढ़ी हुई दरें दिया जाना खेदजनक है।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पूर्व में टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स से अपेक्षा की गयी कि वे पूर्व में दी गयी दरों को ध्यान में रखते हुए नयी दरें समिति को उपलब्ध कराये तथा इस कार्य को व्यवसायिक अवसर के रूप में न लेते हुए इस जनहित के कार्य में अपनी सहभागिता एवं राज्य सरकार को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के उपस्थित प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार द्वारा पूर्व में दी गयी दरों की समीक्षा करने के पश्चात नयी दरें उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 22.07.2022 तक का समय चाहा गया।

समिति द्वारा दोनो टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स को क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु इकोनामिक दृष्टि से उचित रेट उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा उक्त रेट पर परिचर्चा हेतु दिनांक 25.07.2022 को समिति की पुनः बैठक आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

  
(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव



उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - H 78945/सी-2/613/2022

दिनांक- 26-7-22

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
4. डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
7. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
8. गार्ड फाइल।

सदस्य सचिव



## A Report on rapid assessment of Chromium concentration in waste Dumped at Rania, Kanpur Dehat

### 1. Background

The contaminated dump sites (subject site) is located north of National Highway-2 (NH-2) near Khan Chandpur village which is about 3 kilometres (km) west of the town of Rania, Kanpur Dehat, UP. The quality of groundwater was also impacted due to leaching of hexavalent chromium from the waste dump sites, the contaminated plume has spread up to Khan Chandpur village towards south directions from the subject site up to distance of 1.5 km.

### 2. Site description

The subject site is open land and that was used for agriculture purpose, and littered with large number of heaps of wastes above the ground level. The waste is reportedly dumped by a small group of Basic Chrome Sulphate (BCS) manufacturing industries. It was reported that those industries were operated on a leased land and thereafter left the premises. None of the units are in operation at present. Indiscriminate dumping and also the use of chrome sludge has resulted contamination of soil at various locations around the subject site. The leachate from dump site leaches hexavalent chromium during rains, thereby resulted into contamination groundwater underneath. There is high risk of further contamination of soil and groundwater as long as the source of contamination is not contained.

### 3. Purpose of the visit to contaminated sites

Hon'ble NGT, in the matters of OA No. 985 & 986/2019, and OA No. 200 of 2014, regarding **Remediation of Chromium dumps at Rania, Kanpur Dehat, UP** passed the direction as below:

*.....13. Accordingly, we find it necessary to constitute a **five-member expert Committee under the Chairmanship of Chief Secretary, U.P. with nominees of MoEF&CC, CPCB, NMCG, UP PCB and District Magistrates of Kanpur Dehat and Kanpur Nagar. CPCB and the State PCB will be nodal agencies jointly. The Committee may meet within two weeks and prepare road map for remedial action. The Committee is free to co-opt any other expert or institution. Cost of remediation will be first born by the State of UP with liberty to the State to recover the same from any other source of funding or from such erring industries/individuals as may be found responsible, as per law. The plan should result in remediation of dump sites.....An action taken report of compliance status as on 31.03.2022 be filed before the next date.....***

In compliance to the aforesaid order of the Hon'ble NGT, **Expert Committee** meetings were held under the Chairmanship of Chief Secretary, UP. Subsequently Chief Secretary constituted 04 members sub-committee for disposal of accumulated waste at Rania through TSDF. Members of Subcommittee are as below

- (i) Sh V.P.Yadav, Director, CPCB
- (ii) Member Secretary, UPPCB

- (iii) Dr. Pravin Kumar, Director (Technical), NMCG
- (iv) ADM, Kanpur-Dehat, UP

Above sub-committee in its meeting held on 10.06.2022 decided that sampling and analysis of hazardous waste from the Cr (VI) contaminated sites at Rania, is to be carried out jointly by CPCB and UPPCB in presence of TSDF operators for assessment of actual Chromium concentration in the waste.

Accordingly, officials of CPCB (both HO & RD-Lucknow), UPPCB, along with team from M/s Bharat Oil Bharat Oil & Waste Management Ltd., and M/s U. P. Waste Management Project visited the site on 16.06.2022 to carry out hazardous waste sampling to ascertain the present concentration in the waste as well as estimate the quantity of Cr(VI) contaminated Hazardous Waste. Site photograph of Hexavalent Chromium contaminated sites at Rania, Kanpur-Dehat, UP is presented in **Annexure-I**.

#### CPCB officials

1. Dr. R. K. Singh, Scientist-E & Regional Director, CPCB-RD, Lucknow;
2. Sh. G. Rambabu, Scientist-D, WM-I, CPCB-HO, Delhi;
3. Dr. Gargi Biswas, Research Associate-II, WM-I, CPCB, Delhi;

#### UPPCB officials

1. Sh. J. P. Maurya, Regional Officer, Kanpur Dehat

## 4. Activities during Visit

Introductory meeting was held with officials from CPCB (both HO & RD-Lucknow), UPPCB, M/s Bharat Oil Bharat Oil & Waste Management Ltd., and M/s U. P. Waste Management Project, followed by site visit. Sampling was done as per following:

- 11 grids of size 12mx12m were made. In each grid, 5 pits were made and samples from 3 different depths were collected. Therefore, total 55 nos. of pits were dug using backhoe excavator.
- In each grid, 4 nos. of samples from 5 pits of each grid (3 grab sample of different depth and 1 composite sample) were collected. Hence,
- 44 nos. of waste samples were collected from the chromium contaminated site. Out of 44 samples, 33 grab and 11 composite samples were collected to assess the chromium concentration at present in waste dumped at Rania.
- Samples collected were transported to CPCB, Delhi Lab for analysis.

The details of the samples are given at **Table-1** and the corresponding map is given at **Fig-1**.


**Table-1: Sampling location along with geo-coordinates**

Grid No.	Sample Code	Depth (m)	Availability of waste	Geo-coordinates (in decimal)	
				Latitude	Longitude
1	SR1	0 - 0.5	Waste	80.0471	26.4032
	MR1	1.0	Waste		
	BR1	1.8	Soil horizon started		
	CR1	0 – 1.8	SR1+MR1+BR1		
2	SR2	0 - 0.5	Fly ash + waste	80.0474	26.4036
	MR2	1.0	Waste		
	BR2	1.5	Soil horizon started		
	CR2	0 – 1.5	SR2+MR2+BR2		
3	SR3	0 - 0.5	Fly ash + waste	80.0476	26.4039
	MR3	1.0	Waste		
	BR3	1.4	Soil horizon started		
	CR3	0 – 1.4	SR3+MR3+BR3		
4	SR4	0 - 0.5	Fly ash + waste	80.0478	26.4035
	MR4	1.0	Waste		
	BR4	1.35	Soil horizon started		
	CR4	0 – 1.35	SR4+MR4+BR4		
Grid No.	Sample Code	Depth (m)	Availability of waste	Geo-coordinates (in decimal)	
				Latitude	Latitude
5	SR5	0 - 0.5	Fly ash + waste	80.048	26.4032
	MR5	1.0	Waste		
	BR5	1.32	Soil horizon started		
	CR5	0 – 1.32	SR5+MR5+BR5		
6	SR6	0 - 0.5	Fly ash + waste	80.0481	26.4029
	MR6	1.0	Waste		
	BR6	1.38	Soil horizon started		
	CR6	0 – 1.38	SR6+MR6+BR6		
7	SR7	0 - 0.5	Fly ash + waste	80.0483	26.4025
	MR7	1.0	Waste		
	BR7	1.47	Soil horizon started		
	CR7	0 – 1.47	SR7+MR7+BR7		
8	SR8	0 - 0.5	Waste	80.0479	26.4028
	MR8	1.0	Waste		
	BR8	1.84	Soil horizon started		
	CR8	0 – 1.84	SR8+MR8+BR8		
Grid No.	Sample Code	Depth (m)	Availability of waste	Geo-coordinates (in decimal)	
				Latitude	Latitude
9	SR9	0 - 0.5	Waste	80.0475	26.4026
	MR9	1.0	Waste		
	BR9	2.18	Soil horizon started		
	CR9	0 - 2.18	SR9+MR9+BR9		



Grid No.	Sample Code	Depth (m)	Availability of waste	Geo-coordinates (in decimal)	
				Latitude	Longitude
10	SR10	0 - 0.5	Waste	80.0474	26.4028
	MR10	1.0	Waste		
	BR10	2.36	Soil horizon started		
	CR10	0 – 2.36	SR10+MR10+BR10		
11	SR11	0 - 0.5	Waste	80.0474	26.4031
	MR11	1.0	Waste		
	BR11	2.4	Soil horizon started		
	CR11	0 – 2.4	SR11+MR11+BR11		
Note: S = Surface, M= Medium, B = Bottom, C = Composite, R = Location Rania					

**Fig. 1: Geo-location of Sampling Grids**



Analysis result of the waste samples collected by CPCB is given below at **Table-2 (A & B)**. The analysis results (TCLP) of samples are compared with TCLP method (mg/L) of Schedule-II of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (HOWM Rules, 2016).

**Table-2 (A): Analysis results of Cr (VI) waste in TCLP (mg/L) for both Grab and Composite samples collected**

S.No	Sample Code	Cr (VI) (TCLP in Distilled Water) mg/L	S.No	Sample Code	Cr (VI) (TCLP in Distilled Water) mg/L
1	Grid-1		2	Grid-2	
	SR-1	190		SR-2	144
	MR-1	157		MR-2	123
	BR-1	214		BR-2	99
	CR-1	98		CR-2	131
3	Grid-3		4	Grid-4	
	SR-3	127		SR-4	164
	MR-3	137		MR-4	125
	BR-3	103		BR-4	166
	CR-3	181		CR-4	151
5	Grid-5		6	Grid-6	
	SR-5	201		SR-6	163
	MR-5	175		MR-6	196
	BR-5	140		BR-6	157
	CR-5	224		CR-6	137
7	Grid-7		8	Grid-8	
	SR-7	150		SR-8	127
	MR-7	179		MR-8	134
	BR-7	107		BR-8	106
	CR-7	114		CR-8	176
9	Grid-9		10	Grid-10	
	SR-9	107		SR-10	121
	MR-9	152		MR-10	166
	BR-9	119		BR-10	152
	CR-9	101		CR-10	165
11	Grid-11				
	SR-11	199			
	MR-11	178			
	BR-11	106			
	CR-11	227			
Note: S = Surface, M= Medium, B = Bottom, C = Composite, R = Location Rania					

**Table-2 (B): Comparative Analysis results of Total Chromium and Cr (VI) in TCLP (mg/L) for Composite samples**

S. No.	Sample Location Code	Total Cr (mg/kg)	Cr (VI) (TCLP in Distilled Water) mg/L
1	CR-1	29,340.00	98
2	CR-2	25,300.00	131
3	CR-3	25,840.00	181
4	CR-4	23,800.00	151
5	CR-5	27,040.00	224
6	CR-6	26,360.00	137
7	CR-7	29,780.00	114
8	CR-8	31,200.00	176
9	CR-9	32,620.00	101
10	CR-10	33,560.00	165
11	CR-11	34,840.00	227

**Note:** C = Composite, R = Location Rania

## 5. Extent of contamination and Intervention Area: Cr (VI) Dumpsite at Rania

During sampling, the area of contaminated site was measured and estimated to about 43,180 m<sup>2</sup> had been impacted with hexavalent chromium. Based on the 11 grids made, excavated 55 pits up to a depth of 2.4 m and accordingly the volume of waste was estimated to be about 51,520 m<sup>3</sup>. During detailed investigation of the sites, density of soil assumed at 1650 kg/m<sup>3</sup>.

## 6. Observations/Findings

- In 11 composite samples collected from 55 pits excavated, the observed average Cr (IV) in TCLP is approximately 155 mg/L ranging from 99 mg/L to 214 mg/L.
- In 11 composite samples collected from 55 pits excavated, concentration of Total Cr is observed in the range of 23,800-34,800 mg/kg.
- Total area impacted with hexavalent chromium has been estimated as 43,180 m<sup>2</sup>. Based on the depth in the range of 0.5 to 2.4 m, volume of waste is estimated to be about 51,520 m<sup>3</sup>.
- The area impacted with hexavalent chromium observed increased (32,958 m<sup>2</sup> to 43,180 m<sup>2</sup> approximate), as compared to the DPR prepared by CPCB in the year 2018. This increase may be due to spreading or fresh dumping.



- Several heaps of chromium contaminated hazardous waste along with huge quantity of fly ash at depth of 0.2 to .05 m depth were also observed as dumped at the aforesaid site
- Fencing with warning signs observed at site to prevent access and to restrict use the waste/ contaminated soil as landfilling /construction material.

\*\*\*

#### Annexure-I

#### Site photograph of Hexavalent Chromium contaminated sites at Rania, Kanpur-Dehat, UP





कन्टामिनेटेड साइट (राखी मण्डी), कानपुर नगर की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

कन्टामिनेटेड साइट राखी मण्डी, कानपुर नगर का निरीक्षण आज दिनांक 11.05.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार का क्रोमियम वेस्ट/हैजार्डस वेस्ट भण्डारित नहीं पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालनानुसार यू0पी0 जल निगम, कानपुर नगर द्वारा पानी की सप्लाई बैकल्पिक व्यवस्थाओं द्वारा राखीमण्डी के प्रभावित क्षेत्र में किया जा रहा है। निरीक्षण के समय कन्टामिनेटेड साइट (राखी मण्डी), कानपुर नगर पर खुले क्षेत्र पर राख भण्डारित पायी गयी। निरीक्षण के समय आस-पास के लोगों द्वारा अवतग कराया गया कि राख को विभिन्न प्रकार के उद्योगों से लाकर छनाई कर राख एवं राख में मिश्रित बड़े कणों को अलग-अलग किया जाता है। तत्पश्चात् उक्त को विक्रय कर लिया जाता है। निरीक्षण के समय कन्टामिनेटेड साइट राखी मण्डी, कानपुर नगर के पास सौन्दरीकरण एवं कुछ नालियों का निर्माण कार्य कराया गया है। फोटोग्राफ संलग्न है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


*Saurabh*  
11/05/2022  
(सौरभ हैरिस)  
जे0आर0एफ0

*P. J. Verma*  
11/05/2022  
(आर0के0 वर्मा)  
वैज्ञा0 सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

*S. K. Singh*  
11/05/2022











**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Genti Nagar, Lucknow-226010



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

Date:17/06/2021

Ref No: 11801495/CENTRAL/2021

- 1- Sample Location: Submersible of Rakhi mandi ,Kanpur nagar
- 2- Sample Source: Other
- 3- Type of sample : Ground Water
- 4- Sample Collected By : Vijay Srivastava, SA
- 5- Odour : None
- 6- Quantity and Packing : 2 Ltr Plastic Jericane
- 7- Date of Sample Collection : 16/03/2021
- 8- Analysis Indented by : RO Kanpur Nagar
- 9- Date of sample receipt in Lab : 19/03/2021

Parameter	Unit	Drinking Water Standards* Source:IS 10500:2012(2nd Revision) Requ accept Limit (Perm limit		Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	6.5-8.5	No relaxation	7.78	02-12
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 OC	mg/l	500.0	2000.0	996.0	5.0 -10000 mg/l
Hardness, 2340 C EDTA Titrimetric Method	mg/l	200.00	600.00	253.8	10.0 -5000 mg/l
Calcium, 3500 -Ca B EDTA Titrimetric Method	mg/l	75.00	200.00	63.6	10.0 -1000 mg/l
Magnesium, 3500 -Mg B Calculation Method	mg/l	30.00	100.00	22.75	10.0 - 1000 mg/l
Chloride as Cl-, 4500- Cl - B Argentometric Method	mg/l	250.00	1000.00	95.0	3.0 - 500 mg/l
Alkalinity, 2320 B Titrimetric Method	mg/l	200.00	600.00	300.0	20-5000 mg/l

These standards are subject to revision

Analysed by

[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by

Dr Arunima Bajpai ASO

ARUNIMA  
BAJPAI

Digitally signed by  
ARUNIMA BAJPAI  
Date: 2021.06.17  
09:38:32 +0530

NEELIMA  
DEEPAK  
Incharge Central Laboratory

Digitally signed by  
NEELIMA DEEPAK  
Date: 2021.06.17  
09:38:32 +0530

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.



# CENTRAL LABORATORY, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, LUCKNOW

Analysis Data of Solid Waste(Rakh) Samples in Kanpur city, collected by  
Sh. H.C.Joshi (ASO), Dr. A.K.Mathur (AEE), Sh. S.K.Mishra (MA), Sh.Sarvesh Kumar (LA),  
Regional Office- Kanpur

S.No	Sample Code	Name of sampling points	Date of Sampling	Date of receiving	Hexavalent Chromium (mg/gm)	T.Chromium (mg/gm)	Cadmium (mg/gm)
1	W/1428/17	Rakhi Sample behind plot 485 "S" Block, Juhi Gara, Kanpur	25-Jul-17	26-Jul-17	BDL	0.239	0.002
2	W/1429/17	Rakhi Sample near Idea Tower, Juhi Gara, Kanpur	25-Jul-17	26-Jul-17	BDL	0.05	0.001
3	W/1430/17	Rakhi Sample plot No. 127/366, Juhi Gara, Kanpur	25-Jul-17	26-Jul-17	BDL	0.022	0.001
4	W/1431/17	Rakhi Sample Mr. Rakesh Sachan, (ADV.) behind plot 127/358, Juhi Gara, Kanpur	25-Jul-17	26-Jul-17	BDL	0.021	0.001
5	W/1432/17	Rakhi Sample Sh. Gulab Saray, 127/559, Juhi Gara, Kanpur	25-Jul-17	26-Jul-17	BDL	0.119	0.001
6	W/1433/17	Rakhi Sample Sh. Ram Chandra, 127/559, Rakhi Mandi, Kanpur	25-Jul-17	26-Jul-17	BDL	0.062	0.001
7	W/1434/17	Rakhi Sample Sh. Sanjay Saroj, 127/389, Rakhi Mandi, Kanpur	25-Jul-17	26-Jul-17	BDL	0.024	0.001
8	W/1435/17	Rakhi Sample Sh. Guddu, Rakhi Mandi, Kanpur	25-Jul-17	26-Jul-17	BDL	0.027	0.001
9	W/1436/17	Rakhi Sample Sh. Ajay Sharma, 127/364, Rakhi Mandi, Kanpur	25-Jul-17	26-Jul-17	BDL	0.008	0.001
10	W/1437/17	Rakhi Sample in front of M/S Kamal Sales Corporation, Juhi Gara, Kanpur	25-Jul-17	26-Jul-17	BDL	1.310	0.001

BDL= Below Detection Limit

Detection Range for Hexavent Chromium is 0.2-1.0 mg/l

Asst. Jyoti  
3/8/17  
(SA)

Pratibha  
3/8/17  
(ASO)

Nagari  
03/08/17  
I/c central lab

खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक 28.07.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के सदस्यों एवं डा० आर०के सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ तथा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात व मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि० के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा टी०एस०डी०एफ० के उपस्थित प्रतिनिधियों से खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

तत्कम में मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि०, कानपुर देहात के श्री भरत मिगलानी, तकनीकी निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 130 पीपीएम हेक्सावैलेंट कोमियम कन्सन्ट्रेशन के वेस्ट का रेड मड के माध्यम से स्टैब्लाइजेशन हेतु परीक्षण किये गये हैं, जिसमें रेड मड 45 प्रतिशत एवं एसिड 48 प्रतिशत लेने पर सांद्रता 93.7 पीपीएम प्राप्त हुई तथा रेड मड 65 प्रतिशत एवं एसिड 48 प्रतिशत लेने पर सांद्रता 83 पीपीएम प्राप्त हुई रेड मड 75 प्रतिशत एवं एसिड 48 प्रतिशत लेने पर सांद्रता 119.2 पीपीएम प्राप्त हुई। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि रेड मड से हैक्सावैलेंट कोमियम वेस्ट के स्टैब्लाइजेशन से पूर्व रेड मड को एसिड के माध्यम से रिचार्ज/ऐक्टिवेट करना होगा तदोपरान्त रेड मड से स्टैब्लाइजेशन के बाद समुचित परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। परन्तु रेड मड को एसिड से रिचार्ज/ऐक्टिवेट करने में प्रयुक्त एसिड के कारण केमिकल्स के मूल्यों में वृद्धि होगी। उनके द्वारा कोमियम वेस्ट के स्टैब्लाइजेशन हेतु प्रयुक्त केमिकल्स की लागत रुपये 11.425 प्रति किग्रा० तथा कोमियम वेस्ट के निस्तारण की लागत रुपये 16.775 प्रति किग्रा० सूचित की गयी।

मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात के उपस्थित प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार, निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्दपुर रनियाँ में डम्प कोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु रेड मड, सीमेंट आदि का प्रयोग करके रुपये 11.99 प्रति किग्रा० (कर अतिरिक्त) की लागत सूचित की गयी।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात के उपस्थित प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार से स्टैब्लाइजेशन में प्रयुक्त केमिकल्स का मूल्य एवं उसका ब्रेकप उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। श्री संजीव कुमार द्वारा कोमियम वेस्ट के स्टैब्लाइजेशन में प्रयुक्त केमिकल्स का मूल्य रुपये 7.050 प्रति किग्रा० सूचित किया गया।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा बताया गया कि मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात द्वारा विभिन्न मर्दों एवं स्टैब्लाइजेशन में प्रयुक्त होने वाले केमिकल्स का मूल्य का ब्रेकप उपलब्ध कराया गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात से खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्तावित दरों में और कमी लाये जाने



के प्रयास किये जाने की अपेक्षा की गयी तथा मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि०, कानपुर देहात से वेस्ट के निस्तारण हेतु न्यूनतम मूल्य दर्शाते हुए फाइनल प्रपोजल दिनांक 31.07.2022 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।



(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - H79414/सी-2/613/2022

दिनांक- 3-8-22

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
4. डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
7. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
8. गार्ड फाइल।

सदस्य सचिव



खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक 04.08.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के सदस्यों एवं डा० आर०के सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ तथा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात व मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि० के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा बताया गया कि खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट का टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु आपरेटर्स द्वारा दरें समिति से समक्ष प्रस्तुत किये जाने में काफी विलम्ब हो चुका है। उनके द्वारा टी०एस०डी०एफ० के उपस्थित प्रतिनिधियों से खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु उपलब्ध करायी गयी दरों के प्रस्ताव में यदि कोई संशोधन वांछित हो तो उससे अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि० एवं मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कानपुर देहात द्वारा क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु उपलब्ध करायी गयी दरें व्यावहारिक नहीं हैं। उक्त दरें पूर्व में टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स द्वारा दी गयी दरों से अधिक होने के कारण शासन स्तर से बजट की स्वीकृति प्राप्त करने में अवरोध होगा। टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स से दरों पर पुनर्विचार किये जाने की अपेक्षा की गयी।

डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के स्टैबलाइजेशन हेतु रेड मड का प्रयोग किया जाना औचित्यहीन बताया गया, क्यों कि रेड मड हाइली आक्सीडाइज्ड होता है तथा उसको रिड्यूसिंग एलीमेंट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा कहा गया कि क्रोमियम वेस्ट के स्टैबलाइजेशन हेतु कौन से केमिकल्स प्रयुक्त होंगे, यह टी०एस०डी०एफ० आपरेटर पर निर्भर करता है। स्टैबलाइज्ड वेस्ट के टीसीएलपी टेस्ट में मानकों के अनुरूप परिणाम प्राप्त हों एवं वेस्ट के निस्तारण की लागत तर्कसंगत हो, यही समिति का मैनडेट है।

मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात के उपस्थित प्रतिनिधि श्री बसंत द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा क्रोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु 11.93 प्रति किग्रा० की आप्टीमाइज्ड दरें उपलब्ध करायी गयी हैं तथा उनके द्वारा उक्त दरों पर पुनर्विचार करने हेतु एक दिन का समय चाहा गया।

मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि०, कानपुर देहात के श्री भरत मिगलानी, तकनीकी निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि रेड मड 600 प्रतिशत लेने पर फेरस सल्फेट 30 से 32 प्रतिशत लेने पर वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। परन्तु रेड मड 600 प्रतिशत प्रयोग किये जाने से केमिकल कास्ट एवं एस०एल०एफ० में डिस्पोजल की लागत में वृद्धि होगी, जोकि उचित नहीं है। उनके द्वारा अल्टरनेट केमिकल्स के रूप में जीजीबीएस (ग्राउण्ड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग), स्पेण्ट कास्टिक आदि के प्रयोग से स्टैबलाइजेशन की लागत में कमी लायी जा सकती है तथा निस्तारण की लागत रुपये 13.275 प्रति कि०ग्रा० तक हो सकती है।

डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि०, कानपुर देहात द्वारा सूचित की गयी एस०एल०एफ० की डम्पिंग कास्ट जोकि वेस्ट के निस्तारण हेतु कुल लागत का 32 प्रतिशत है को कम करने हेतु प्रयास किये जाने पर बल दिया गया।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु राज्य सरकार से बजट स्वीकृत कराया जाना है, जिसके लिये औचित्यपूर्ण दरें निर्धारित होनी चाहियें। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस जनहित के कार्य में राज्य सरकार को अपेक्षित सहयोग करें। उनके द्वारा टी०एस०डी०एफ० ऑपरेटर्स से नो प्रोफिट नो लास के आधार पर उक्त कार्य को करने हेतु न्यूनतम दरें समिति को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा सुझाव दिया गया कि समिति द्वारा भी स्वयं प्रयास करके कोमियम वेस्ट के स्टैबलाइजेशन में प्रयुक्त केमिकल्स, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रान्सपोर्टेशन आदि की सम्भावित न्यूनतम दरें ज्ञात कर ली जाये तत्पश्चात उसके आधार पर टी०एस०डी०एफ० ऑपरेटर्स द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों के परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा दरों को अन्तिम रूप देते हुए प्रोरेटा के आधार पर दोनों टी०एस०डी०एफ० को आर्डर कर दिया जाये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - 79789/सी-2/613/2022

दिनांक- 11-8-22

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
4. डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
7. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
8. गार्ड फाइल।

सदस्य सचिव



खानचन्दपुर, रनियों, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक 18.08.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में समिति के सदस्यों एवं डा० आर०के सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ तथा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात व मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि० के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में डा० आर०के सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु समिति द्वारा स्वयं के प्रयास से ज्ञात की गयी दरों के सम्बंध में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करने हेतु आग्रह किया गया।

डा० आर०के सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि कोमियम वेस्ट के स्टैबलाइजेशन हेतु प्रयुक्त केमिकल्स की दरों के मूल्यांकन हेतु गहन प्रयास किया गया है। समिति के सदस्यों द्वारा केमिकल्स की दरें प्राप्त किये जाने हेतु प्रतिष्ठित वेडर्स से सीधे सम्पर्क किया गया। लाइम की दरें प्राप्त किये जाने हेतु राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों से तथा फेरस सल्फेट की दरें प्राप्त करने हेतु गुजरात की उत्पादनकर्ता औद्योगिक इकाइयों से सम्पर्क किया गया। समिति द्वारा Chemical Consumption हेतु किये गये सघन प्रयास के उपरान्त ट्रान्सपोर्टेशन चार्ज सहित फेरस सल्फेट का मूल्य रुपये 10500 प्रति मी०टन, एसिड का मूल्य 12000 प्रति मी०टन, लाइम का मूल्य रुपये 8800 प्रति मी०टन तथा सीमेंट का मूल्य रुपये 7200 प्रति मी०टन ज्ञात हुआ है। उक्त के दृष्टिगत मैसर्स ई०आर०एम० इण्डिया प्रा०लि०, गुड़गाव द्वारा तैयार की गयी डी०पी०आर० में स्टैबलाइजेशन हेतु उल्लिखित केमिकल्स कन्जम्पशन की मात्रा के आधार पर 1.0 मी०टन कोमियम वेस्ट के स्टैबलाइजेन में प्रयुक्त होने वाले 30 प्रतिशत फेरस सल्फेट हेतु लागत रुपये 3150.00, 20 प्रतिशत एसिड हेतु लागत रुपये 2400.00, 25 प्रतिशत लाइम हेतु लागत रुपये 2200.00 तथा 25 प्रतिशत सीमेंट हेतु लागत रुपये 1500.00 होती है अर्थात् 1.0 मी०टन कोमियम वेस्ट के स्टैबलाइजेशन हेतु कुल लागत लगभग रुपये 9250.00 बनती है।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रा०लि० द्वारा दिनांक 22.07.2022 को उपलब्ध करायी गयी दरों में लेवलिंग एण्ड सर्वेइंग, प्रेपराइटरी वर्क्स, ग्रीडिंग कन्टेन्मेंट आदि हेतु रुपये 38.00, हैण्डलिंग एवं लोडिंग हेतु रुपये 24.00, मॉनिटरिंग एक्सपेंसेस हेतु रुपये 82.00, सैम्पलिंग, एनालिसिस एवं सेफ्टी इक्व्यूपमेंट आदि हेतु रुपये 218 तथा मार्जिन रुपये 1256.00 दर्शाया गया है जोकि उचित नहीं प्रतीत होते हैं। उक्त के अतिरिक्त उनके द्वारा लैण्डफिलिंग चार्ज रुपये 1350.00 तथा बल्किंग फैक्टर चार्ज रुपये 2295.00 दर्शाया गया है जोकि काफी अधिक है। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रा०लि० से उक्त चार्ज पर गहनता से विचार कर दरें कम करने की अपेक्षा की गयी।

मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात के उपस्थित प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार कोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु रुपये 11.997 प्रति किग्रा० (टैक्स



अतिरिक्त) की लागत आयेगी तथा उनके द्वारा प्रेषित दरों में पहले ही समिति द्वारा निगोशियेशन किया जा चुका है तथा दरों को अब और अधिक कम किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा कहा गया कि यह कार्य राष्ट्र हित में है तथा इस जनहित के कार्य में आगे आकर नो प्राफिट नो लॉस के आधार पर टी०एस०डी०एफ० संस्थाओं को कार्य करना चाहिये।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रा०लि० द्वारा यूपीसीडा में वर्ष 2021 में प्रस्तुत की गयी गयी बिड में उक्त वेस्ट के निस्तारण हेतु रुपये 8.991 प्रति कि०ग्रा० (टैक्स सहित) की लागत सूचित की गयी थी, जिसके सापेक्ष वर्तमान में सूचित दर रुपये 11.997 प्रति कि०ग्रा० (टैक्स अतिरिक्त) तर्कसंगत नहीं प्रतीत हो रही है। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं समिति के अन्य सदस्यों द्वारा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात से दरों में अग्रेतर कमी किये जाने का आग्रह किया गया।

मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात के उपस्थित प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में यूपीसीडा में बिड में रुपये 8.991 प्रति कि०ग्रा० (टैक्स सहित) की दरें दी गयी थी, परन्तु अबतक होलसेल प्राइस इन्डेक्स (डब्ल्यू.पी.आई.) में 29 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। उक्त के आधार पर क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु लागत रुपये 11.598 प्रति कि०ग्रा० टैक्स सहित होती है। अन्ततः मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात के प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार द्वारा खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु कुल लागत रुपये 11.598 प्रति कि०ग्रा० (टैक्स सहित) पर कार्य किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। बैठक में समिति के उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु कुल लागत रुपये 11.598 प्रति कि०ग्रा० (टैक्स सहित) निर्धारित किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी।


सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि क्रोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु दर रुपये 11.598 प्रति कि०ग्रा० में टैक्स सम्मिलित है। यदि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित टैक्स की राशि को माफ करा दिया जाता है, तो क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु उक्त दर में से टैक्स को कम कर दिया जायेगा। इस पर मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात के उपस्थित प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा कहा गया कि खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार एवं मानकों के अनुरूप होना चाहिये तथा मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि०, कानपुर देहात के श्री भरत मिगलानी, तकनीकी निदेशक से उक्त दरों पर कार्य किये जाने हेतु उनका अभिमत चाहा गया। मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि०, कानपुर देहात के श्री भरत मिगलानी, तकनीकी निदेशक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण हेतु रुपये 13.275 प्रति कि०ग्रा० की दरें सूचित की गयी हैं। उनके द्वारा समिति द्वारा क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु निर्धारित की गयी दर पर कार्य किये जाने के सम्बंध में विचार किये जाने हेतु दिनांक 23.08.2022

तक का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि०, कानपुर देहात से भी क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु रुपये 11.598 प्रति कि०ग्रा० (टैक्स सहित) की दर पर कार्य किये जाने हेतु विचारोपरान्त सहमति दिये जाने की अपेक्षा की गयी।

समिति द्वारा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि०, कानपुर देहात द्वारा खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के टी०एस०डी०एफ० में निस्तारण हेतु समिति द्वारा निर्धारित की गयी दर रुपये 11.598 प्रति कि०ग्रा० (टैक्स सहित) पर कार्य किये जाने हेतु सहमति दी जाती है तो मैसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि०, कानपुर देहात को भी उनके एस०एल०एफ० में वेस्ट के निस्तारण हेतु उपलब्ध भूमि के अनुपात में कार्य आवंटित किया जायेगा अन्यथा मैसर्स यू०पी० वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुम्भी, कानपुर देहात को उक्त दर पर खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प समस्त क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु कार्य आवंटित कर दिया जायेगा। दोनो टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स को क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु कार्य के आवंटन से निस्तारण का कार्य तीव्रता से कराया जा सकेगा।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

  
(अजय कुमार शर्मा)  
सदस्य सचिव


उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक - G/38843/सी-2/613/2022

दिनांक-18-8-2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री वी०पी० यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
4. डा० प्रवीण कुमार, निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. डा० आर०के० सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
7. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
8. गार्ड फाइल।

  
सदस्य सचिव